मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2020–21

पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मध्यप्रदेश शासन–भोपाल

मंत्रालय

पद नाम	नाम	दूरभाष	
		कार्यालय	निवास
मान. मंत्री पशुपालन एवं डेयरी	माननीय श्री प्रेम सिंह पटेल	2708580	2579717 2570242
अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त	श्री के.के. सिंह	2441607	2440032
अपर मुख्य सचिव	श्री जे.एन. कंसोटिया	2558263	2431910
उप सचिव	श्री जेड.यु. शेख	2573904	2972828
अवर सचिव	श्रीमती कलिस्ता कुजुर	2512023	—

विभागाध्यक्ष

पद नाम	नाम	दूरभाष	
		कार्यालय	निवास
संचालक पशुपालन	डा. आर.के. रोकड़े	2772262	2765340
प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश स्टेट को–आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड	श्री शमीम उद्दीन	2602145	—
प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम	डा. एच.बी.एस. भदौरिया	2776086	2980223
प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड	डा. आर.के. रोकड़े	2776310	2765340

विषय सूची

भाग	विषय	पृष्ठ
एक	1.1 विभागीय संरचना	1
	1.2 अधीनस्थ कार्यालय	2
	1.3 विभाग के अन्तर्गत आने वाले उपक्रम/ निगम मण्डलों का विवरण	2
	1.4 विभाग का उद्देश्य	3
	1.5 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	3
	1.6 तकनीकी कार्य	3
	1.7 पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं संवर्धन	4
	1.8 मध्य प्रदेश पशुधन विकास नीति	5
	1.9 नस्ल सुधार	5–10
	1.10 महत्वपूर्ण सांख्यिकी	10–12
दो	**बजट विहंगावलोकन एवं बजट प्रावधान एवं व्यय**	13
तीन	**राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं**	14
	3.1 हितग्राही मूलक योजनाएं	14–20
	3.2 पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार	21
	3.3 पशु संजीवनी 1962	21
	3.4 भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की स्थापना	21
	3.5 पशु आश्रय स्थल आसरा	22
	3.6 पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय	22
	3.7 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	22–31
	3.8 राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP)	31
	3.9.1 राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP)	31
	3.10 आत्म निर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप की प्रगति	32
चार	**शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र/भेड़ प्रक्षेत्र/बकरी प्रक्षेत्र/कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र**	33
	4.1 शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का उद्देश्य	33
	4.2 शासकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र का उद्देश्य	33
	4.3 शासकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र का उद्देश्य	34
	4.4 शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र का उद्देश्य	34–35
पांच	**सामान्य प्रशासनिक जानकारी**	36–38
छः	**विभागीय उपलब्धियां**	39
	6.1 महत्वपूर्ण विभागीय उपलब्धियां	39–40
सात	**विभाग के अन्तर्गत आने वाले निगम, बोर्ड एवं समितियां**	41
	7.1 म.प्र.राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम	41–44
	7.2 एम.पी. स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड	45–47
	7.3 म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड	47–49

	7.4 पशु रोगी कल्याण समिति	49–50
	7.5 पशु क्रूरता निवारण समिति	50
	7.6 मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद्	50
आठ	**परिशिष्ट एक –जिलेवार 19वीं पशु संगणना 2012 के आंकड़े**	51–52
	परिशिष्ट दो – 20वीं पशु संगणना में मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी	53
	परिशिष्ट तीन– देश में राज्यों के अनुमानित पशु उत्पाद दूध, अंडा, ऊन एवं मांस की जानकारी (वर्ष 2018–19)	54
	परिशिष्ट चार –जिलेवार अनुमानित दूध,अण्डा,ऊन एवं मांस की जानकारी (वर्ष 2019–20)	55–56
	परिशिष्ट पांच– 19वीं पशु संगणना 2012 अनुसार प्रजनन योग्य गौ–भैंस (मादा पशु) की जानकारी	57–58
	परिशिष्ट छः – 19वीं पशु संगणना 2012 अनुसार म.प्र. में प्रति पशु चिकित्सा संस्थाओं पर पशुधन स्थिति (2019–20 की स्थिति में)	59–60

भाग – एक

1.1 विभागीय संरचना

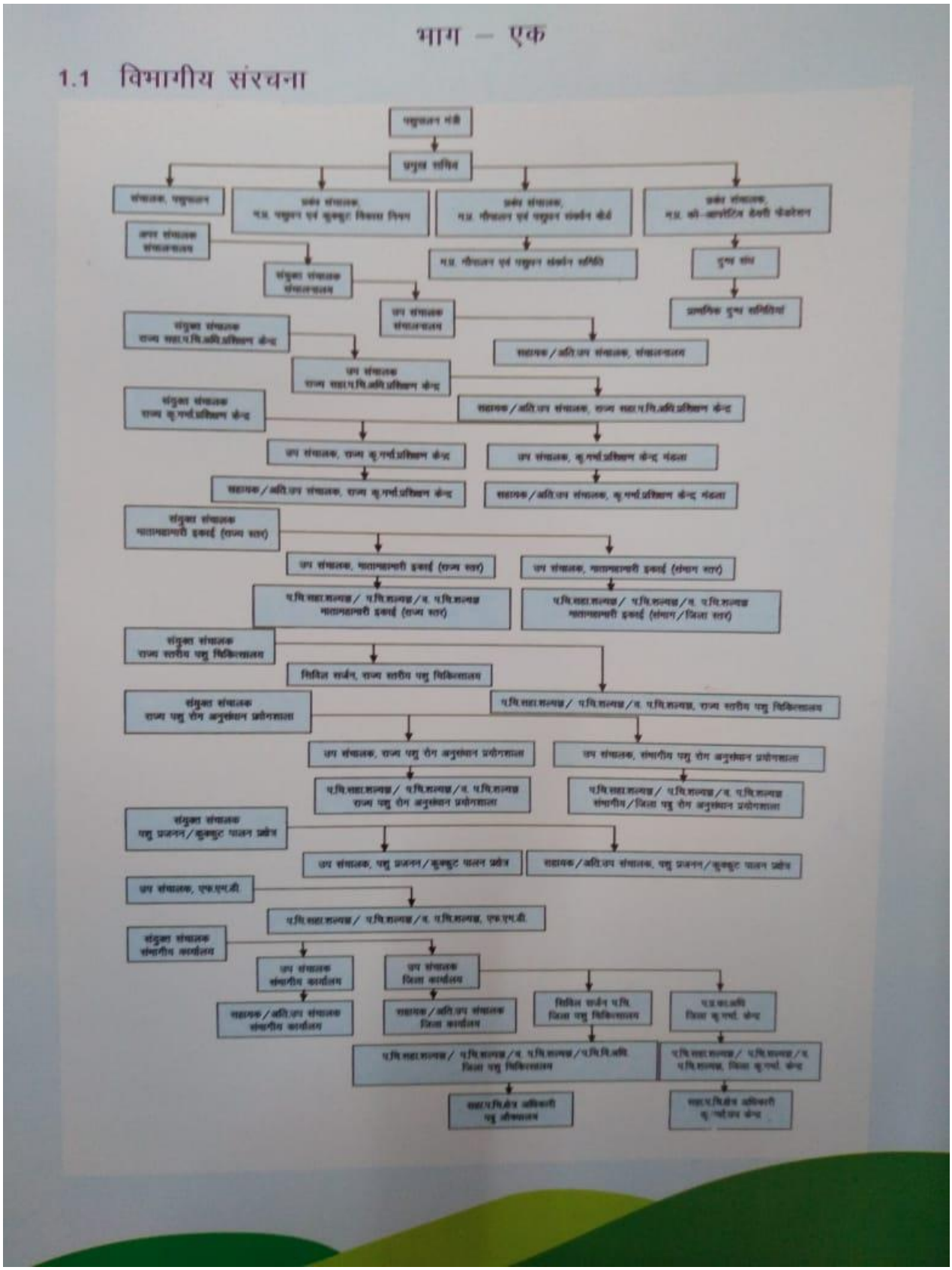

1.2 अधीनस्थ कार्यालय

(i) संचालनालय पशुपालन,

(ii) पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान महू जिला इन्दौर,

(iii) संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, समस्त संभाग,

(iv) उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं समस्त जिले,

(v) राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, भोपाल,

(vi) माता महामारी उन्मूलन कार्यक्रम म0प्र0, भोपाल,

(vii) मुँहखुरी रोग व्यापकी इकाई, भोपाल,

(viii) कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल/मंडला,

(ix) सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान शिवपुरी,

(x) राज्य पशु चिकित्सालय भोपाल,

(xi) जर्सी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भदभदा (भोपाल)

(xii) पशु प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा (टीकमगढ़) आगर (मालवा) रोड़िया (खरगौन), इमलीखेड़ा (छिंदवाड़ा), गढ़ी (बालाघाट), पवई (पन्ना),

(xiii) बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र आरोन (ग्वालियर), मिनौरा (टीकमगढ़), चिनकी उमरिया (नरसिंहपुर)

(xiv) भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पड़ोरा (शिवपुरी), मिनौरा (टीकमगढ़),बांसाखेड़ी (मंदसौर)

(xv) कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं अनुसंधान केन्द्र भोपाल,

(xvi) कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र इन्दौर/ग्वालियर/रीवा/शहडोल/छिंदवाड़ा/झाबुआ/गुना/सागर,

(xvii) कुक्कुट प्रशिक्षण विद्यालय, रीवा

1.3 विभाग के अन्तर्गत आने वाले उपक्रम/ निगम/मंडलों/ परिषद्/ संस्थानों का विवरण

1.3.1 मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड,

1.3.2 मध्यप्रदेश स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड

1.3.3 मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम,

1.3.4 म0प्र0पशु चिकित्सा परिषद,

1.3.5 नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

1.4 विभाग का उद्देश्य

पशुपालन एवं डेयरी विभाग का उद्देश्य पशु स्वास्थ्य रक्षा तथा पशु संवर्धन एवं संरक्षण के माध्यम से पशुधन एवं कुक्कुट उत्पाद में वृद्धि करना तथा कमजोर वर्ग के हितग्राहियों को पशुपालन के माध्यम से आर्थिक लाभ पहुॅचाना है।

1.5 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

1 नवम्बर, 1956 को मध्यप्रदेश के गठन उपरान्त 20 मई 1962 को कृषि विभाग के अन्तर्गत ही पृथक से संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवाएं स्थापित किया गया। वर्ष 1981 में पशुपालन एवं डेयरी विभाग को कृषि विभाग से पृथक करते हुए स्वतंत्र रुप से अस्तित्व में लाया गया। 4 फरवरी 2011 से संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं का नाम परिवर्तन कर संचालनालय, पशुपालन किया गया है।

1.5.1	प्रदेश का कुल क्षेत्रफल (हजार वर्ग किलोमीटर में)	308
1.5.2	प्रदेश की कुल जनसंख्या (लाख में) जनगणना 2011	726
1.5.3	प्रदेश में 20वीं पशु संगणना अनुसार कुल पशुधन संख्या (लाख में)	406.22
1.5.4	प्रदेश में 20वीं पशु संगणना अनुसार कुल गौवंशीय पशु (लाख में)	187.35
1.5.5	प्रदेश में 20वीं पशु संगणना अनुसार कुल भैंसवंशीय पशु (लाख में)	103.07
1.5.6	प्रदेश में 20वीं पशु संगणना अनुसार कुल भेड़ा–भेड़ी पशु (लाख में)	3.24
1.5.7	प्रदेश में 20वीं पशु संगणना अनुसार कुल बकरा–बकरी पशु (लाख में)	110.65
1.5.8	प्रदेश में 20वीं पशु संगणना अनुसार कुल कुक्कुट (लाख में)	166.60

1.6 तकनीकी कार्य

1.6.1 पशु चिकित्सा सेवाएं अन्तर्गत पशु रोगों की रोकथाम तथा उसका उपचार,

1.6.2 पशु रोग अन्वेषण,

1.6.3 टीकाकरण,

1.6.4 बधियाकरण,

1.6.5 पशुपालन अन्तर्गत समग्र पशुधन का संरक्षण/ संवर्धन एवं विकास,

1.6.6 समुन्नत प्रजनन,

1.6.7 पशुपालन विस्तार सेवा,

1.6.8 पशुधन विकास कार्यो का पर्यवेक्षण,

1.6.9 कुक्कुट पालन, प्रजनन, संवर्धन,

1.6.10 दुग्ध, दुग्ध उत्पादों, अण्डों, मांस की जांच गुणवत्ता नियंत्रण,

1.6.11 डेयरी गतिविधियों का सर्वेक्षण, विस्तार, विकास सॉख्यिकी,

1.6.12 सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिसका विभाग से संबंध हो,

1.7 पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं संवर्धन

1.7.1 पशु स्वास्थ्य रक्षा हेतु विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय, संभागीय पॉलीक्लिनिक, जिला/ विकासखण्ड/ ग्राम स्तरीय पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय, चल चिकित्सा इकाई, चल विरूजालय, स्टेट पेटर्न कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, स्टेट पेटर्न कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र, मुख्य ग्राम खण्ड योजना, मुख्य ग्राम खण्ड इकाई, रोग अनुसंधान प्रयोगशालाएं एवं टीकाद्रव्य उत्पादन हेतु पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पादन संस्थान महू जिला इन्दौर में संचालित है। पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा पशु उपचार, औषधि वितरण, टीकाकरण, नमूनों की जांच आदि से की जाती है। पशुओं का उपचार न केवल पशु चिकित्सालयों व पशु औषधालयों में किया जाता है बल्कि चल पशु चिकित्सा इकाई/ विरुजालय व पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन करके भी किया जाता है। 1962 पशुसंजीवनी द्वारा घर पहुॅच चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

1.7.2 संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु समसामयिक टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार विन्दुओं पर ब्लू प्रिंट तैयार किए जाते हैः–

1.7.2.1 ऐसे ग्रामों की 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों के समस्त पशु जहॉ गत् तीन वर्षों में किसी संक्रामक रोग का उद्भेद हुआ हो।

1.7.2.2 ग्वारियों में जाने वाले पशु।

1.7.2.3 प्रदेश के बाहर आवागमन मार्गो से आने–जाने वाले पशु।

1.7.2.4 पशु बाजार में बाहर से आने वाले पशु।

1.7.2.5 वन क्षेत्र की सीमा में आने वाले ग्रामों के पशु।

1.7.3 संक्रामक रोगों में मुंहपका खुरपका रोग(एफ.एम.डी),एकटंगिया अथवा चुरकारोग (बी.क्यू), गलघोंटू अथवा घटसर्प रोग (एच.एस.) छड़ (एंथ्रेक्स), पी.पी.आर. स्वाईन फीवर, एंट्रोटोक्सिमिया, रैबीज, रानीखेत (कुक्कुट), फाउलपॉक्स (कुक्कुट), स्पाईरोकीटोसिस (कुक्कुट), मैरेक्स (कुक्कुट), गंबोरो (कुक्कुट) का टीकाकरण किया जाता है।

1.7.4 प्रदेश में पशु संसर्गजन्य रोगों (contagious) के रोकथाम हेतु पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पादन संस्थान महू जिला इन्दौर में चार प्रकार के जीवाणु टीके, दो प्रकार के टिशू कल्चर (विषाणु) टीके तथा तीन प्रकार के टीका घोलकों का उत्पादन किया जाता हैं। मुंहपका, खुरपका, रेबीज व पी. पी. आर. रोग को छोड़कर समस्त संक्रामक रोगों के टीकाद्रव्य का उत्पादन इस संस्थान में किया जाता है।

1.7.5 यह संस्थान प्रदेश में टीकाद्रव्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य को भी आवश्यकतानुसार टीकाद्रव्य प्रदाय किया जाता है एवं विशेष परिस्थितियों में देश के अन्य राज्यों को भी टीकाद्रव्य उपलब्ध कराया जाता है।

1.8 मध्यप्रदेश पशुधन विकास नीति

प्रदेश की कृषि क्षेत्रक गतिविधियों के विकास एवं गरीबी उन्मूलन में पशुपालन के महत्व के दृष्टिगत पशुपालन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश पशुधन विकास नीति 2011 तैयार की गई है। पशुधन विकास नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं

1.8.1 विभिन्न पशुधन विकास एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों के लिए एक समान रणनीति न अपनाते हुए कृषि जलवायु तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित कार्यक्रम बनाए जाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

1.8.2 लघु एवं संसाधन विहीन पशुपालकों को पशुधन उत्पादन वृद्धि में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से कम लागत मूल्य पर अधिकाधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने के प्रयास किए गए हैं ।

1.8.3 पशुधन विकास कार्यक्रमों का वातावरण में प्रभाव, समान अवसर, महिलाओं को सीधा लाभ तथा स्थिरता जैसे मुद्दों को भी नीति में समाहित किया गया है।

1.8.4 पशुधन क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्थागत संरचना एवं प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान देते हुए विभागीय अमले की दक्षता उन्नयन संबंधित विषयों को भी शामिल किया गया है ।

1.8.5 पशुधन विकास नीति में सार्वजनिक/निजी/किसान/गैर सरकारी संस्थाओं की साझेदारी को प्रोत्साहन दिए जाने पर बल दिया गया है।

1.8.6 पशुधन उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों के विस्तार एवं क्रियान्वयन हेतु गैर सरकारी संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं लोक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है ।

1.8.7 विभिन्न कार्यक्रमों के अग्रगामी एवं पश्चगामी जुडावों का ध्यान भी नीति में रखा गया है ताकि पशुधन उत्पादों के संकलन, प्रसंस्करण एवं उनका लाभात्मक विपणन सुनिश्चित किया जा सके।

1.8.8 पशुधन विकास नीति गतिमान स्वरूप की होने के फलस्वरूप समय–समय पर पशुपालन के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप शिथिलता समाहित किए हुए है।

1.9 नस्ल सुधार

प्रदेश में उपलब्ध पशुओं में मुख्यतः अवर्णित नस्ल के पशु अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इन पशुओं की उत्पादक क्षमता बहुत कम है इनकी उत्पादक क्षमता में वृद्धि के लिए प्रदेश में नस्ल सुधार कार्यक्रम संचालित हैं। इस कार्यक्रम के तहत् कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार किया जाता है। प्राकृतिक गर्भाधान में उच्च कोटि के सांडों से मादा पशुओं में प्राकृतिक गर्भाधान कराकर नस्ल सुधार किया जा रहा है। इसी प्रकार कृत्रिम गर्भाधान में उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम विधि द्वारा मादा पशुओं में गर्भाधान कराकर नस्ल सुधार किया जा रहा है। प्रदेश में 20वीं पशु

संगणना 2019 के अनुसार उपलब्ध 132.47 लाख प्रजनन योग्य मादा पशुओं हेतु नस्ल सुधार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

1.9.1 प्रदेश के देशी वर्णित पशुधन

1.9.1.1 मालवा क्षेत्र के शाजापुर, देवास, इन्दौर, उज्जैन व राजगढ़ जिलों में मालवी नस्ल के गौवंशीय पशु अपनी भारवाहक क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं।

1.9.1.2 इसी प्रकार निमाड़ क्षेत्र के खरगौन, बड़वानी जिलों में निमाड़ी नस्ल के गौवंशीय पशु अपनी भारवाहक क्षमता के लिए पहचाने जाते हैं।

1.9.1.3 टीकमगढ़ व पन्ना क्षेत्र में केनकथा नस्ल के गौवंशीय पशु अपनी भारवाहक क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं।

1.9.1.4 भैंस वंश में भदावरी उत्तरी मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में पाई जाती है जो कि दुग्ध उत्पादन हेतु तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी है।

1.9.1.5 मध्यप्रदेश के झाबुआ तथा धार जिले में प्रदेश की महत्वपूर्ण ख्याति प्राप्त कुक्कुट नस्ल कड़कनाथ पाई जाती है। इसके सरंक्षण तथा संवर्धन हेतु विभाग में कड़कनाथ प्रक्षेत्र झाबुआ में संचालित है।

1.9.2 पशु प्रजनन नीति

1.9.2.1 गौवंशीय पशु प्रजनन नीति

प्रदेश के गौ–वंशीय पशुओं के प्रजनन के लिए निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं:–

(i) स्थानीय गौ–नस्ल के संरक्षण हेतु नस्ल के ब्रीडिंग ट्रैक्ट्स के शाजापुर, राजगढ़ जिले में मालवी नस्ल से, निमाड़ क्षेत्र के खरगौन, बड़वानी जिलों में निमाड़ी नस्ल से एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिला पन्ना व छतरपुर जिले की लौड़ी तहसील में केनकथा नस्ल से चयनित प्रजनन।

(ii) ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्र विशेष अनुसार स्थानीय अवर्णित नस्लों का देशी वर्णित नस्ल से उन्नयन। मुख्यतः गिर, साहीवाल, थारपारकर व हरियाणा नस्ल से।

(iii) शहरी, अर्द्धशहरी, मिल्कशेड व औद्यौगिक क्षेत्र में जर्सी व हॉलिस्टिन फ्रीजियन से संकर प्रजनन। सामान्यतः विदेशी रक्त (Exotic Blood Level) का स्तर 50 प्रतिशत तक एवं प्रगतिशील पशुपालकों की इच्छानुसार विदेशी रक्त का स्तर 62.5 प्रतिशत तक।

उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्रजनन नीति के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश को निम्नलिखित सात जोन में विभाजित किया गया है––

(i) जोन I उत्तरीय नदी घाटी

इस जोन के अन्तर्गत भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर तथा दतिया का अल्प भाग आता है एवं इस जोन में हरियाणा नस्ल की तरह व श्रेणीकृत द्विउद्देशीय गौवंशीय पशु पाए जाते हैं। साधारणतः ये पशु आंशिक स्टाल फीडिंग प्रणाली में पाले जाते हैं। इस क्षेत्र की कृषि जलवायु स्थिति हरियाणा नस्ल के होम ट्रेक्ट से मिलती जुलती है, अतः इस जोन के

ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा नस्ल से उन्नयन किया जाएगा। पशुपालकों की मांग पर शहरी एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में विदेशी नस्ल से संकर प्रजनन भी किया जा सकता है।

(ii) जोन I। लैट्रेटिक बेल्ट आफ शिवपुरी

इस जोन के अन्तर्गत शिवपुरी जिला एवं गुना का उत्तरी हिस्सा आता है एवं इस क्षेत्र के गौवंशीय पशु सामान्यतः गहरे लाल रंग के औसत कद काठी के हैं जो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त हैं किन्तु इनका दुग्ध उत्पादन कम है। अतः इस जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में देशी वर्णित नस्ल जैसे हरियाणा, थारपारकर से उन्नयन किया जाएगा। चूँकि शिवपुरी जिला मिल्क शेड में आता है, इसलिए शहरी एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में जर्सी नस्ल से संकर प्रजनन अनुशंसित है।

(iii) जोन I।। मालवा का पठार

इस जोन के अन्तर्गत राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, देवास, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, धार, उत्तरी झाबुआ, मंदसौर एवं नीमच जिले आते हैं एवं इस क्षेत्र में मुख्य रूप से द्विउद्देशीय गाय की मालवी नस्ल पाई जाती है। इस जोन के अन्तर्गत उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील, राजगढ जिले की खिलचीपुर, जीरापुर तहसील एवं आगर व शाजापुर जिले की आगर एवं शाजापुर तहसील में मालवी नस्ल से चयनित प्रजनन किया जाएगा एवं शेष ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों की मांग अनुसार मालवी एवं थारपारकर अथवा गिर नस्ल से उन्नयन तथा शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के मिल्क शेड क्षेत्र में विदेशी नस्ल जर्सी, एच. एफ. से संकर प्रजनन किया जाना लक्षित है।

(iv) जोन IV निमाड़ी ट्रेक्ट

इस जोन के अन्तर्गत अलीराजपुर जिले की अलीराजपुर तहसील, धार जिले की कुक्षी व मनावर तहसील, जिला खरगोन, बडवानी, खण्डवा, बुरहानपुर, हरदा जिले की हरदा तहसील तथा बैतूल जिले की भैंसदेही तहसील आती है। इस जोन में गाय की निमाड़ी नस्ल के पशु पाए जाते हैं जो एक भार वाहक नस्ल है। इस जोन के पश्चिम निमाड़–खरगोन व बड़वानी, जिलो में निमाड़ी नस्ल चयनित प्रजनन, पूर्वी निमाड़–खण्डवा, बुरहानपुर, जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निमाड़ी नस्ल से चयनित प्रजनन तथा शेष शहरी व मिल्क शेड क्षेत्र में विदेशी नस्ल से संकर प्रजनन किया जाना लक्षित है।

(v) जोन V पश्चिमी विंध्य पठार व नर्मदा घाटी

इस जोन के अन्तर्गत जिला जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, होशंगाबाद, दमोह जिले की दमोह तहसील, छिंदवाडा जिले की अमरवाडा तहसील तथा सिवनी जिला (कुरई विकास खण्ड छोड़कर) आता है एवं इस जोन क्षेत्र में अवर्णित नस्ल के देशी पशु पाए जाते हैं। प्रजनन नीति अनुसार जोन के ग्रामीण क्षेत्र में थारपरकर नस्ल से उन्नयन तथा मिल्क शेड व शहरी क्षेत्र में विदेशी नस्ल जर्सी, हॉलिस्टिन फ्रिजियन से संकर प्रजनन तथा छत्तीसगढ से जुड़े कुछ क्षेत्रों में साहीवाल नस्ल से उन्नयन किया जाना लक्षित है।

(vi) जोन VI पूर्वी विंध्य पठार

इस जोन के अन्तर्गत दमोह जिले की हटा तहसील, जबलपुर की मुडवारा तहसील एवं जिला रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ तथा सीधी जिले का उत्तरी क्षेत्र आते हैं एवं इस जोन की केन घाटी में पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील क्षेत्र केनकथा नस्ल का होम लैण्ड है। यह नस्ल प्रसिद्ध भारवाहक नस्ल है जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। केनकथा नस्ल के श्रेणीकृत पशु पन्ना जिले से जुड़े हुए छतरपुर के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं। प्रजनन नीति अनुसार केन नदी घाटी के अजयगढ तहसील के साथ पन्ना में केनकथा नस्ल से चयनित प्रजनन, जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा नस्ल से उन्नयन तथा शहरी क्षेत्र में जर्सी हॉलिस्टिन फ्रीजियन नस्ल से संकर प्रजनन किया जाना लक्षित है।

(vii) जोन VII पूर्वी सतपुडा का पठार

इस जोन के अन्तर्गत जिला बालाघाट एवं सिवनी जिले के लखनादोन तहसील से पूर्वी क्षेत्र की ओर शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिले तक इस क्षेत्र में देशी अवर्णित नस्ल के पशु पाए जाते हैं। इस जोन के शहरी क्षेत्र में जर्सी हॉलिस्टिन फ्रीजियन से संकर प्रजनन तथा ग्रामीण क्षेत्र में थारपारकर एवं छत्तीसगढ राज्य से जुडे क्षेत्र में साहीवाल नस्ल से उन्नयन किया जाना लक्षित है। इसी प्रकार महाराष्ट्र राज्य के वर्धा, नागपुर जिलों से जुडे मध्यप्रदेश के छिंदवाडा, सिवनी, बालाघाट व बैतूल जिलों के चयनित पाकेट में गौलव नस्ल से उन्नयन किया जाना अनुशंसित है।

1.9.2.2 भैंस वंशीय पशु प्रजनन नीति

सामान्यतः प्रदेश में अवर्णित नस्ल के भैंस वंशीय पशु तथा ग्रेडेड मुर्रा पशु पाए जाते हैं। मात्र उत्तरी नदी घाटी के जिला भिण्ड में भदावरी व ग्रेडेड भदावरी भैंस वंशीय पशु पाए जाते हैं।

जोन I–

उत्तरी नदीघाटी के जिला भिण्ड एवं जिले से जुड़े ग्वालियर संभाग के जिलों के चयनित क्षेत्र में भदावरी नस्ल से उन्नयन।

जोन II–

मालवा का पठार एवं ब्रीडिंग जोन **IV** निमाड़ी ट्रेक्ट क्षेत्र के कुछ भाग–दक्षिण पूर्वी गुजरात से जुड़े शहरों के कुछ भाग में जाफरावादी नस्ल से उन्नयन। उपरोक्त के अतिरिक्त शेष रहे सम्पूर्ण प्रदेश में मुर्रा नस्ल से उन्नयन।

1.9.2.3 छोटे पशुओं की प्रजनन नीति

(i) राज्य के उत्तरी क्षेत्र में बारबरी बकरों की नस्ल से उन्नयन तथा प्रदेश के शेष क्षेत्र में जमनापारी नस्ल से उन्नयन लक्षित है।

(ii) कॉरीडेल, रेम्बोलेट की संकर भेड़ नस्ल से स्थानीय भेड़ों का उन्नयन लक्षित है।

(iii) मिडिल व्हाइट यार्कशायर सूकर नस्ल से स्थानीय सूकरों का उन्नयन लक्षित है।

तालिका 1.1
प्रदेश में पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं संवर्धन हेतु संचालित संस्थाएं

क्रमांक	संस्था का नाम	संख्या
1	राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय	1
2	जिला स्तरीय पशु चिकित्सालय (पॉलीक्लीनिक)	50
3	पशु चिकित्सालय	1012
4	पशु औषधालय	1583
5	चल पशु चिकित्सा इकाई	38
6	चल विरुजालय	27
7	राज्य स्तरीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाला	1
8	संभाग स्तरीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाला	7
7	जिला स्तरीय रोग अन्वेषण प्रयोगशालाएं	34
8	मुंहखुरी रोगव्यापकी इकाई	1
9	पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद् संस्थान	1
10	सीरम संस्थान	1
11	उप संचालक माता महामारी (राज्य स्तर)	1
12	पशु जांच चौकी	19
13	अनुगामी इकाई	10
14	सतर्कता इकाई	7
15	सघन टीकाकरण इकाई	7
16	रोग शमन दल	2
17	पशु निरोधस्थल (क्वारनटाइन स्टेशन)	1
18	फ्रोजन सीमेन बुल स्टेशन	1
19	फ्रोजन सीमेन बैंक	7
20	मुख्य ग्राम योजना	38
21	मुख्य ग्राम इकाई	380
22	नियंत्रित पशु प्रजनन कार्यक्रम	2
23	नियंत्रित पशु प्रजनन उपकेन्द (खिलचीपुर–25, खरगौन–25)	50
24	स्टेट पैर्टन कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	16
25	स्टेट पैर्टन कृत्रिम रेतन उपकेन्द्र	141
26	गहन पशु विकास परियोजना	17
27	गहन पशु विकास कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	60
28	गहन पशु विकास कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	904
29	कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान	2

30	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान	1
31	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय	1
32	पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय	3
33	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय	5
34	बुलमदर फार्म भोपाल	1
35	केन्द्रीय वीर्य संस्थान भोपाल	1
36	नौनेर वीर्य संग्रहण केन्द्र–दतिया	1
37	रतौना गोकुल ग्राम–सागर	1
38	कामधेनू ब्रीडिंग केन्द्र–कीरतपुर	1
39	केटल फीड संयंत्र कीरतपुर	1

तालिका 1.2

पशु स्वास्थ्य रक्षा की विगत तीन वर्षो की जानकारी (लाख में)

कं0	विवरण	2018–19	2019–20	2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)
1	पशु उपचार	152.46	157.66	115.08
2	टीकाकरण	455.53	510.11	416.23

.

तालिका 1.3

पशु संवर्धन व उन्नत प्रजनन हेतु विगत तीन वर्षों की जानकारी (लाख में)

कं0	विवरण	2018–19	2019–20	2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)
1	कृत्रिम गर्भाधान	31.03	32.32	23.44
2	कृत्रिम गर्भाधान से वत्सोत्पादन	10.57	10.71	7.95
3	प्राकृतिक गर्भाधान	6.78	7.61	5.57
4	प्राकृतिक गर्भाधान से वत्सोत्पादन	3.69	5.25	3.52
5	बधियाकरण	11.04	7.61	5.85

1.10 महत्वपूर्ण सांख्यिकीय

भारत विश्व के उन राष्ट्रों में से एक है जिनकी आर्थिकी पशुधन पर निर्भर है व सर्वाधिक गौ व भैंसवंश वाला राष्ट्र है। एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के अनुमानित उत्पादनों के अनुसार वर्ष 2018–19 में देश में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में तीसरा, अण्डे उत्पादन में बारहवां एवं मांस उत्पादन में चौदहवां स्थान है।

तालिका 1.4

20वीं पशु संगणना 2019 एवं 19वीं पशु संगणना 2012 की तुलनात्मक स्थिति

क्रमांक	विवरण	20वीं पशु संगणना 2019	19वीं पशु संगणना 2012	प्रतिशत् वृद्धि / कमी
1	गौवंशीय पशु	1,87,50,828	1,96,02,366	–4.34
2	भैंस वंशीय पशु	1,03,07,131	81,87,989	25.88
3	भेड़ा / भेड़ी	3,24,585	3,08,953	5.06
4	बकरे / बकरियॉ	1,10,64,524	80,13,936	38.07
5	घोड़े / घोड़ियां	13,260	18,803	–29.48
6	खच्चर	2,543	6,989	–63.61
7	गधे	8,135	14,916	–45.46
8	ऊँट	1,753	3,422	–48.77
9	सूअर	1,64,616	1,75,253	–6.07
	कुल पशुधन	**4,06,37,375**	**3,63,32,627**	**11.85**
	कुत्ते	3,03,567		
	खरगोश	9,842		
	कुल कुक्कुट	**1,66,59,898**	**1,19,04,716**	**39.94**
	आवारा गौवंश	8,53,971	4,37,910	
	आवारा कुत्ते	10,09,076	12,08,539	

''स्त्रोतः भारत सरकार की 20वीं एवं 19वीं पशु संगणना

तालिका 1.5

मध्यप्रदेश में केन्द्र प्रवर्तित योजना दूध,अण्डा एवं मांस उत्पाद् के वर्षवार ऑकड़े

क्रं	विवरण	वर्ष				
		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
1	दुग्धोत्पादन (000मे.टनमें)	12148	13445	14713	15911	17109

2	अण्डा उत्पादन (लाख में)	14414	16940	19422	21432	23794
3	मांस उत्पादन (000मेंटनमें)	70	79	89	97	106

स्त्रोतः– भारत सरकार की एकीकृत नमूना सर्वेक्षण योजना

तालिका 1.6

मध्यप्रदेश में केन्द्र प्रवर्तित योजना दूध, अण्डा एवं मांस उत्पाद् के वर्षवार अनुमानित प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता (ग्राम में)	प्रति व्यक्ति वार्षिक अंडा उपलब्धता (संख्या में)
2015–16	428	19
2016–17	468	22
2017–18	505	24
2018–19	538	26
2019–20	543	28

1.11 विभाग द्वारा प्रसारित अधिनियम व नियम/नीति :–

(i) मध्यप्रदेश पशुधन सुधार अधिनियम, 1950

(ii) मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 (यथा संशोधित 2006)

(iii) मध्यप्रदेश पशु (नियंत्रण) अधिनियम, 1976

(iv) मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास अधिनियम,1982 (यथा संशोधित 1984)

(v) मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 (यथा संशोधित 2010) नियम 2012

(vi) मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 संशोधन अधिनियम 2012

(vii) मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम 1993

(viii) मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड नियमावली 2006

(ix) मध्यप्रदेश पशुधन विकास नीति 2011

(x) पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम (चेकपोस्ट एवं संगरोग शिविर, निरीक्षण की रीति आदि) नियम 2015

(xi) म.प्र. गौ–भैंसवंश प्रजनन विनियमन अधिनियम 2019

1.12 भारत सरकार द्वारा प्रसारित नियम व अधिनियम प्रदेश में लागू

1.12.1 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

1.12.2 भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984

1.12.3 पशुओं के संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के रोकथाम अधिनियम 2009

भाग–दो

बजट विहंगावलोकन एवं बजट प्रावधान व व्यय (योजनावार)

2.1 बजट एवं व्यय(आयोजना+ आयोजनेत्तर)

(राशि ` लाख में)

क्र.	वित्तीय वर्ष 2018–19		
	योजना शीर्ष	प्रावधान	व्यय
1.	मांग संख्या 14–पशुपालन	101102.54	86022.63
2.	मांग संख्या 53–त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2921.35	2262.70
3.	मांग संख्या 61–बुन्देलखंड पैकेज से संबंधित व्यय	205.71	185.14
योग		**104229.60**	**88470.47**

2.2 बजट एवं व्यय (आयोजना+ आयोजनेत्तर)

कं	वित्तीय वर्ष 2019–20	(राशि ` लाख में)	
	योजना शीर्ष	प्राावधान	व्यय
1	मांग संख्या 14–पशुपालन	117256.68	98697.00
2	मांग संख्या 53–त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2925.78	1955.53
3	मांग संख्या 61–बुन्देलखंड पैकेज से संबंधित व्यय	273.00	170.67
योग		**120455.46**	**100823.20**

2.3 बजट एवं व्यय (आयोजना+ आयोजनेत्तर)

कं	वित्तीय वर्ष 2020–21	(राशि ` लाख में)	
	योजना शीर्ष	प्रावधान	व्यय (माह दिसम्बर 2020 तक)
1	मांग संख्या 14–पशुपालन	90391.84	60226.94
2	मांग संख्या 53–त्रिस्तरीय पंचायती राज	1478.09	912.20

	संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
3	मांग संख्या 61–बुन्देलखंड पैकेज से संबंधित व्यय	0	0
योग		**91869.93**	**61139.14**

भाग–तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.1 हितग्राही मूलक योजनाएं

राज्य की हितग्राहीमूलक योजनाएं निम्नानुसार हैं :

3.1.1 आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना

यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए है। इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा रोजगाार के अवसर प्रदान करना है।

योजनान्तर्गत पशुपालक न्यूनतम 5या इससे अधिक पशु की योजना स्वीकृत करा सकेगा तथा परियोजना की अधिकतम सीमा राशि ` 10 लाख तक होगी। परियोजना लागत का 75% राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त करनी होगी तथा शेष राशि की व्यवस्था मार्जिन मनी सहायता एवं हितग्राही का स्वयं के अंशदान के रुप में करनी होगी। इकाई लागत के 75% पर या हितग्राही द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो भी कम हो 5% वार्षिक व्याज की दर से (अधिकतम राशि ` 25000 प्रतिवर्ष) ब्याज की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों तक विभाग द्वारा की जाएगी। 5% से अधिक शेष ब्याज दर पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हितग्राही को स्वयं करनी होगी। मार्जिनमनी सहायता सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 25%, अधिकतम राशि ` 1.50 लाख तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु परियोजना लागत का 33%, अधिकतम राशि ` 2 लाख।

3.1.2 बड़े पशुओं का उत्प्रेरण

3.1.2.1 नन्दीशाला योजना

योजना का उददेश्य ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय अवर्णित गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार हेतु देशी वर्णित नस्ल के सांडों का प्राकृतिक गर्भाधान सेवाएं हेतु पशुपालकों को अनुदान आधार पर प्रदाय करना है। योजना प्रदेश के सामान्य, आदिवासी, विशेष घटक के लिए है। योजना ग्राम पंचायत स्तर पर प्रगतिशील पशुपालकों को अनुदान के आधार पर वर्णित नस्ल गौ–सांड यथा साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा, गिर, गौलव,मालवी,निमाड़ी, केनकथा आदि प्रदाय किए जाते हैं। प्रदेश के बाहर की नस्ल के देशी वर्णित गौ सांड हेतु योजना की इकाई लागत का मूल्य (परिवहन एवं प्रदायित सांड के प्रथम 60दिवस के लिए पशु आहार सहित) राशि ` 25720 है जिसमें प्रति इकाई अनुदान 75% तथा हितग्राही अंशदान 25% निर्धारित है। तथा प्रदेश की नस्ल के गौसांड हेतु इकाई लागत राशि `18260 है जिसमें प्रति इकाई अनुदान 75% तथा हितग्राही अंशदान 25% निर्धारित है।

3.1.2.2 समुन्नत पशु प्रजनन कार्यक्रम (मुर्रा पाड़ा प्रदाय योजना)

योजना का उद्देश्य भैंसों में नस्ल सुधार करना है। ऐसे क्षेत्र जहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के मुर्रा पाड़े प्रदाय कर भैसों में प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना प्रारम्भ की गई है। योजना प्रगतिशील पशुपालकों, प्रशिक्षित गौसेवक एवं सभी वर्ग के लिए मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है। इस योजना की इकाई लागत राशि ` 45000 है जिसमें सभी वर्गों को 75 प्रतिशत अनुदान एवं 25 प्रतिशत हितग्राही अंशदान का प्रावधान है।

3.1.3 छोटे पशुओं का उत्प्रेरण

3.1.3.1 बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई

प्रदेश के सभी जिलों में बैक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई प्रदाय योजना संचालित है। योजना का उद्देश्य देशी बकरियों में नस्ल सुधार लाना, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, तथा मांस एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। योजनान्तर्गत 10 बकरी एवं 1 बकरे की इकाई प्रदाय की जाती है। योजना की लागत राशि ` 77456 है। योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए 60 प्रतिशत अनुदान तथा सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अनुदान एवं योजना की लागत राशि का 10 प्रतिशत अंशदान व शेष राशि हेतु बैंक ऋण का प्रावधान है।

3.1.3.2 अनुदान पर नर बकरा प्रदाय

अनुदान पर बकरा प्रदाय योजना का उददेश्य देशी बकरियों में नस्ल सुधार लाना, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, मांस तथा दुग्ध उत्पाद में वृद्धि करना है। यह योजना सभी वर्ग के बकरी पालको के लिए है। योजना की इकाई लागत राशि ` 8300 है जिसमें बकरे का मूल्य के साथ बीमा, टीकाकरण, मिनरल मिक्चर एवं कृमिनाशक सम्मिलित है। उन्नत नस्ल का नर बकरा सभी वर्ग के बकरी पालकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है।

3.1.3.3 अनुदान पर नर सूकर प्रदाय

अनुदान पर नर सूकर योजना का उद्देश्य देशी/ स्थानीय सूकरों की नस्ल में सुधार लाकर हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, तथा मांस उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना की इकाई लागत राशि ` 5000 है जिसमें केवल अनुसूचित जाति के सूकर पालक को उन्नत नस्ल का एक नर सूकर 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है।

3.1.3.4 अनुदान पर सूकर त्रयी प्रदाय

अनुदान पर सूकर त्रयी योजना का उद्देश्य देशी/ स्थानीय सूकरों की नस्ल में सुधार लाकर हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना एवं मांस उत्पादन में वृद्धि करना है। योजना की इकाई लागत राशि ` 15000 है जिसमें केवल अनुसूचित जनजाति के सूकर पालक को उन्नत नस्ल का एक नर सूकर एवं दो मादा सूकर 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है।

3.1.3.5 अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई

अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई योजना का उद्देश्य समस्त वर्ग के गरीब लोगों में पोषण स्तर में सुधार लाने तथा अतिरिक्त आय के स्त्रोत उपलब्ध कराना है। योजना

में बिना लिंग भेद वाले 28 दिवसीय 40 लो इनपुट टेक्नोलॉजी के चूजे, औषधि व परिवहन व्यय सम्मिलित है। इस योजना की इकाई लागत राशि ` 2225 है जिसमें अनुदान 75 प्रतिशत हितग्राही अंशदान 25 प्रतिशत् है। यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित की जा रही है।

3.1.3.6 अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय

योजनान्तर्गत समस्त वर्ग के गरीब हितग्राहियों को कुक्कुट पालन के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा कड़कनाथ नस्ल के संरक्षण के साथ–साथ उनका पोषण स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से हितग्राहियों को बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 कड़कनाथ चूजे, खाद्यान्न व औषधि, परिवहन व्यय सहित प्रदाय किए जाते है। योजना की इकाई लागत राशि ` 4400 है जिसमें 75 प्रतिशत् अनुदान तथा हितग्राही अंशदान 25 प्रतिशत् है। यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित की जा रही है।

3.1.4 वत्सपालन प्रोत्साहन योजना

योजना का उद्देश्य प्रदेश में भारतीय देशी नस्ल के गौवंश को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करना एवं उनके पास उपलब्ध उच्च अनुवांशिक गुणों वाले वत्सों का सरंक्षण एवं संर्वधन करना है। योजना में ऐसे पशु पालक जिनके पास भारतीय देशी उन्नत नस्ल की गाय है तथा जिनका दुग्ध उत्पादन उस नस्ल के पशुओं के औसत दुग्ध उत्पादन से 30 प्रतिशत अधिक है एवं उसका वत्स उच्च आनुवांशिक क्षमता वाले भारतीय नस्ल के सांड के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान अथवा प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पैदा हुआ है। ऐसी गायों के पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राशि ` 5,000 एवं उनके वत्सों के संरक्षण हेतु राशि ` 500 प्रतिमाह पशु आहार/औषधी के रूप में 0–4 माह की उम्र से दो वर्षो तक अनुदान के रूप में प्रदाय की

जाती है। इस प्रकार योजना की इकाई लागत राशि ` 17000 है इस योजना में नर एवं मादा दोनों प्रकार के वत्स लाभान्वित हो सकेंगे।

3.1.5 गौसेवक प्रशिक्षण योजना

योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाना एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है। योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10वीं उत्तीर्ण एक स्थानीय बेरोजगार युवक को छः माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षित गौसेवक अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं को प्राथमिक उपचार प्रदान कर स्वरोजगार स्थापित करते हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु राशि ` 1000 प्रति माह के मान से छः माह हेतु राशि ` 6000 स्टायपेन्ड एवं राशि ` 1200 की किट, इस प्रकार कुल राशि ` 7200 प्रति गौसेवक का प्रावधान है। योजना प्रारम्भ से माह दिसम्बर 2020 तक 23573 गौसेवकों को प्रशिक्षित किया गया।

3.1.6 गोपाल पुरस्कार योजना

गोपाल पुरस्कार योजना अन्तर्गत देशी नस्ल के पशुपालन को बढावा देने एवं अधिक दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु गौवंशीय एवं भैंसवंशीय दुधारू पशुओं की प्रतियोगिता आयोजित कर पुरस्कार वितरण हेतु योजना संचालित है। योजना से देशी नस्ल के दुधारू पशुओं के पालन को प्रोत्साहन, गायों एवं भैंसों के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं पशुपालकों को अतिरिक्त आय का साधन प्राप्त होता है।

3.1.6.1 योजना का स्वरूप

योजना सभी वर्ग के पशुपालकों के लिए है जिनके पास भारतीय नस्ल की गाय और/या भैंस उपलब्ध हो तथा गाय का दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन 4 लीटर या उससे अधिक एवं भैंस का दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन 6 लीटर या उससे अधिक हो। योजना विकासखण्ड स्तर, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर संचालित की जाती है एवं इसमें विकासखण्ड स्तर पर प्रथम,द्वितीय,तृतीय पुरस्कार एवं जिला तथां राज्य स्तर पर प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार व 7 सांत्वना पुरस्कार सम्मिलित किए गए हैं। गौवंशीय एवं भैंसवंशीय दुधारु पशुओं की प्रतियोगिताएं पृथक–पृथक आयोजित की जाती हैं एवं पुरस्कार भी पृथक–पृथक होते हैं।

योजना अन्तर्गत पुरस्कार

क्रं	स्तर	पुरस्कार	पुरस्कार (राशि `) (गौवंशीय)	पुरस्कार (राशि `) (भैंसवंशीय)
1	विकासखण्ड स्तर	प्रथम पुरस्कार	10,000	10,000
		द्वितीय पुरस्कार	7,500	7,500
		तृतीय पुरस्कार	5,000	5,000
2	जिला स्तर	प्रथम पुरस्कार	50,000	50,000
		द्वितीय पुरस्कार	25,000	25,000
		तृतीय पुरस्कार	15,000	15,000
		सांत्वना पुरस्कार (7पुरस्कार)	5,000 (प्रति पुरस्कार)	5,000 (प्रति पुरस्कार)

3	राज्य स्तर	प्रथम पुरस्कार	2,00,000	2,00,000
		द्वितीय पुरस्कार	1,00,000	1,00,000
		तृतीय पुरस्कार	50,000	50,000
		सांत्वना पुरस्कार (7पुरस्कार)	10,000 (प्रति पुरस्कार)	10,000 (प्रति पुरस्कार)

3.1.7 आचार्य विद्या सागर जीव दया (गौसेवा) सम्मान योजना

3.1.7.1 योजना का उददेश्य

गौसेवा, गौ संरक्षण एवं जीव दया आदि के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्थानों एवं व्यक्तियों को प्रोत्साहन एवं सम्मान प्रदान करने हेतु आचार्य श्री विद्या सागर जीव दया (गौसेवा) सम्मान योजना, नवीन योजना के रुप में संचालित की गई है। योजना अन्तर्गत संस्थागत श्रेणी एवं व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कार सम्मिलित किए गए हैं। योजना वर्ष में एक बार क्रियान्वित की जाती है।

3.1.7.2 योजनान्तर्गत चयन प्रक्रिया एवं पुरस्कार वितरण

जिले के उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं द्वारा योजना के मापदण्ड अनुसार पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों से प्राप्त आवेदन जिला गोपालन एवं पशुधन संर्वधन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राप्त आवेदनों में से पात्र संस्थाओं एवं व्यक्तियों का चयन कर समिति द्वारा अनुशंसा कर प्रस्ताव मध्यप्रदेश गोपालन एवं पशुधन संर्वधन बोर्ड की ओर प्रेषित किए जाते है।

3.1.7.3 मध्यप्रदेश जिला गोपालन एवं पशुधन संर्वधन बोर्ड की राज्य स्तरीय समिति जिलों से प्राप्त प्रस्तावों में उत्कृष्ट कार्य करने वालें संस्थानों एवं व्यक्तियों का संस्थागत श्रेणी एवं व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कार हेतु चयन किया जाता है।

(अ) संस्थागत श्रेणी अन्तर्गत पुरस्कार

क्रं	पुरस्कार	पुरस्कार (राशि ` लाख में)
1.	प्रथम पुरस्कार	5.00
2.	द्वितीय पुरस्कार	3.00
3.	तृतीय पुरस्कार	2.00
4.	सांत्वना पुरस्कार (कुल 4) (` 50000 प्रति)	2.00

(ब) व्यक्तिगत श्रेणी अन्तर्गत पुरस्कार

क्रं	पुरस्कार	पुरस्कार (राशि ` लाख में)
1.	प्रथम पुरस्कार	1.00
2.	द्वितीय पुरस्कार	0.50
3.	तृतीय पुरस्कार	0.20

तालिका 3.1
हितग्राहीमूलक योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की वित्तीय उपलब्धि

(राशि ` **लाख में)**

क्रं	योजना का नाम	**वर्ष**					
		2018–19		2019–20		2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	
		प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय
1	वत्सपालन प्रोत्साहन योजना	817.00	768.91	416.73	288.28	0.00	0.00
2	अनुदान पर सांड (मुर्रा पाड़ा) प्रदाय	934.06	898.42	392.50	377.58	154.90	149.58
3	नन्दीशालाा योजना	575.04	456.40	126.34	124.15	21.00	18.13
4	अनुदान पर नर बकरा प्रदाय	254.00	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00
5	बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई का प्रदाय	710.00	709.00	573.49	530.11	0.00	0.00
6	अनुदान पर सूकर त्रयी/नर सूकर का प्रदाय	56.99	34.05	2.81	2.81	0.00	0.00
7	अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई का	127.01	127.01	272.54	89.96	135.62	* 113.95

क्रं	योजना का नाम	वर्ष					
		2018–19		2019–20		2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	
		प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय
	प्रदाय						
8	अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय	127.05	127.05	191.40	94.78	97.85	97.85
9	आचार्य विद्या सागर गौसंवर्धन योजना	2650.00	2650.00	1639.69	1607.00	656.00	459.00

नोटः–* कोषालय से राशि आहरण ना हो पाने के कारण लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि कम रही।

तालिका 3.2

हितग्राहीमूलक कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की भौतिक उपलब्धि

क्रं0	योजना का नाम	वर्ष					
		2018–2019		2019–2020		2020–2021 (माह दिसम्बर 2020 तक)	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	व्यय
1	वत्सपालन प्रोत्साहन योजना	4770	4523	2434	1695	0	0
2	अनुदान पर सांड (मुर्रा पाड़ा) प्रदाय	2687	2662	1163	1118	459	444
3	नन्दीशालाा योजना	2932	2366	655	643	109	94
4	अनुदान पर नर बकरा प्रदाय	4070	3280	0	0	0	0
5	बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई प्रदाय	1880	1825	1495	1378	0	0
6	अनुदान पर सूकर त्रयी/नर सूकर का प्रदाय	611	341	25	25	0	0
7	अनुदान पर	7610	7610	16330	5390	8126	* 6827

	बैकयार्ड कुक्कुट इकाई का प्रदाय						
8	अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय	3850	3850	5850	2872	2950	2950
9	आचार्य विद्या सागर गौसंवर्धन योजना	3100	2850	663	553	0	165

नोटः– * कोषालय से राशि आहरण ना हो पाने के कारण लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि कम रही।

3.2 पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार

योजनान्तर्गत 2 घटक संचालित हैः

3.2.1 पशु औषधालय का पशु चिकित्सालय में उन्नयन

योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को गुणवत्तायुक्त पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन किया जाता है योजना की इकाई लागत राशि ` 15.50 लाख है। जिसमें अधोसरंचना विकास हेतु राशि ` 8.60 लाख, फर्नीचर हेतु राशि ` 0.25 लाख, उपकरण हेतु राशि ` 0.50 लाख, औषधि प्रदाय हेतु राशि ` 0.25 लाख एवं वेतन–भत्ते हेतु राशि ` 5.90 लाख प्रावधानित है।

3.2.2 नवीन पशु औषधालय की स्थापना

योजनान्तर्गत पशुपालकों को कम दूरी पर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु नवीन पशु औषधालय की स्थापना की जाती है। योजना की इकाई लागत राशि ` 9.12 लाख जिसमें अधोसरंचना विकास हेतु राशि ` 6.60 लाख, फर्नीचर हेतु राशि ` 0.20 लाख, उपकरण हेतु राशि ` 0.25 लाख, औषधि प्रदाय हेतु राशि ` 0.15 लाख एवं वेतन–भत्ते हेतु राशि ` 1.92 लाख प्रावधानित है।

3.3 पशु संजीवनी 1962

पशुपालकों को घर पहुॅच पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु ''पशु संजीवनी 1962'' योजना प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर टॉल फ्री दूरभाष नम्बर ''1962'' के साथ स्थापित किया गया है। प्रदेश के समस्त 313 विकासखण्डों के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में कॉल सेन्टर पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विभागीय अमले द्वारा निश्चित समयावधि में घर पहुॅच पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उपरोक्त सुविधा अन्तर्गत पशुपालकों को कॉल करने पर घर पहुॅच पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान सुविधा, विभागीय योजनाओं की जानकारी एवं पशुपालन संबंधित उन्नत तकनीकों के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।

3.4 भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की स्थापना

भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला वर्ष 2013 मार्च में प्रारम्भ की गई। राज्य शासन द्वारा आयोजना मद से 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकि प्रयोगशाला भदभदा भोपाल की स्थापना हेतु कुल राशि ` 10.00 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई थी। इस भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकि प्रयोगशाला की स्थापना का उद्देश्य उच्च अनुवांशकीय गुणवत्ता वाली गाय से उसके सम्पूर्ण प्रजनन काल में अधिक से अधिक संतति प्राप्त करना, अधिक उत्पादन वाले पशुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, केन्द्रीय वीर्य संस्थान के द्वारा गायों की नस्ल सुधार के लिए हिमीकृत वीर्य उत्पादन हेतु उच्च अनुवांशिक क्षमता के साड़ों का उत्पादन, गाय की देशी नस्लों का संरक्षण एवं संवर्धन, प्रजनन की चयन पद्धति से देशी दुधारु गायों की नस्ल साहीवाल एवं गिर नस्ल में उन्नयन कर दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। इसके अतिरिक्त इस तकनीक द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली डोनर गायों को चयनित कर हारमोन्स की मदद से सुपर ओवूलेट किया जाता है तत्पश्चात उच्च अनुवांशिक क्षमता वाले सांड़ के हिमीकृत वीर्य द्वारा उसका गर्भाधान कराया जाता है। गर्भाधान के सातवें दिन गर्भाशय से भ्रूण निकाले जाकर रेशीपियंट गायों में प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं अथवा हिमीकृत कर सुरक्षित कर दिए जाते हैं। प्रयोगशाला पर वर्ष 2020–21 माह दिसम्बर तक 96 भ्रूण संकलित तथा 80 भ्रूण प्रत्यारोपित किए गए तथा 59 वत्सों का उत्पादन हुआ।

3.5 पशु आश्रय स्थल आसरा

निराश्रित पशुओं को उपचार व आश्रय उपलब्ध कराने के उददेश्य से पशु आश्रय स्थल आसरा भोपाल में ''आसरा'' के नाम से यह योजना प्रारम्भ की गई है।

आसरा के उद्देश्य

- **(i)** घायल बीमार निराश्रित पशु पक्षियों को प्रतिकूल वातावरण जैसे तेज धूप, गर्म हवा, बरसात से बचा कर सुरक्षित रखने की व्यवस्था एवं उनके खान–पान तथा उचित उपचार की व्यवस्था जब तक वे पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो जाए।
- **(ii)** घायल पशु–पक्षियों को जंगली एवं हिसंक जानवरों से सुरक्षा कर आश्रय देना।
- **(iii)** उपयोगी बेसहारा पशु पक्षियों को पूर्णतः स्वस्थ होने के उपरान्त स्वयं सेवा संस्थाओं, इच्छुक पशु पालकों को उनकी स्वेच्छा से रखने की स्थिति में उन तक पहुॅचना जिससे उनकी उपयोगिता सिद्ध हो सके।
- **(iv)** पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अनुपालन में सहयोग करना।
- **(v)** एंटीरेबीज टीकाकरण कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार तथा सहयोग।
- **(vi)** जागरूकता शिविरों का आयोजन ।
- **(vii)** बड़े पशुओं का टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- **(viii)** पशु–पक्षियों के कल्याण हेतु अन्य ऐसे सभी कार्यो को जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति कर सके।
- **(ix)** पशु आश्रय स्थल की गतिविधियों का प्रचार–प्रसार करना।
- **(x)** छोटे पशु (श्वानों) के लिए जन्म नियंत्रण कार्यक्रम प्रोत्साहित करना साथ ही नगर निगम के सहयोग से श्वानों की नसबंदी एवं एंटीरैबीज का टीकाकरण भी किया जाता है, ताकि क्षेत्र को रैबीज रोग से मुक्त रखा जा सके।

3.6 पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय

प्रदेश में पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना 3नवम्बर 2009 को जबलपुर में की गई थी।इस विश्वविद्यालय अन्तर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर महू एवं रीवा आते हैं। कुक्कुट प्रक्षेत्र जबलपुर एवं वृषभ पालन केन्द्र आमानाला जबलपुर जो कि पहले पशुपालन विभाग के अन्तर्गत आते थे उन्हे पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित किया गया है। विश्वविद्यालय अन्तर्गत तीनों महाविद्यालयों में बी.व्ही.एस.सी एण्ड ए.एच की स्नातक डिग्री प्रदाय की जाती है तथा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर एवं महू में एम.व्ही.एस.सी एण्ड ए.एच की स्नातकोत्तर डिग्री प्रदाय की जाती है। वर्ष 2011–12 से विश्वविद्यालय द्वारा जबलपुर महू, रीवा, भोपाल में तथा मुरैना में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

3.7 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं

3.7.1 राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Live Stock Mission)

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में 7 केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं 7 केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं को सम्मिलित कर आवश्यक संशोधन करते हुए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livesstock Mission) बनाया गया है। भारत शासन द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश एवं संयुक्त सचिव भारत सरकार पशुपालन डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग कृषि भवन नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 2–47/2009–/FF, दिनांक 06.06.2014 के अनुसार राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत आवश्यक समितियों का गठन, गतिविधि कियान्वयन एवं आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्देश्य निम्नानुसार हैं–

(i) कुक्कुट को सम्मिलित करते हुए पशुधन क्षेत्र का समग्र एवं स्थाई विकास।

(ii) भौगोलिक आवश्यकता के अनुसार खाद्य,चारा बीज की मांग एवं पूर्ति के अन्तर में कमी करना, चारा उत्पादन का रकबा बढ़ाना, विस्तार कार्य एवं कटाई के बाद का प्रबन्धन करना तथा चारे की विविध जलवायु क्षेत्रों के अनुरुप प्रोसेसिंग करना।

(iii) कृषकों की सक्रिय भागीदारी (कृषक सहकारिता, बीज निगम, एवं निजी क्षेत्र के उद्यमी को सम्मिलित करते हुए) प्रभावी चारा उत्पादन श्रृंखला के द्वारा गुणवत्तापूर्ण खाद्य एवं चारा बीज उत्पादन बढ़ाना।

(iv) स्थाई एवं समग्र पशुधन विकास के लिए चल रही योजनाओं एवं उसके विभिन्न साझेदारों के बीच समन्वय एवं सहयोगिता बढ़ाना।

(v) पशु पोषण एवं पशु उत्पादन के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यवहारिक अनुसंधान को बढ़ावा देना।

(vi) पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए शासकीय कर्मचारियों एवं कृषकों को प्रशिक्षित करना।

(vii) पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने एवं उत्पादन लागत कम करने के लिए कौशल संवर्धन हेतु प्रशिक्षण एवं तकनीकि का कृषकों तक विस्तार करना।

(viii) कृषक तथा कृषक समूह सहकारिता द्वारा देशी नस्लों के संरक्षण एवं जेनेटिक उन्नयन के पहल को बढ़ावा देना। (बोवाइन को छोड़कर)

(ix) स्माल एवं मार्जिनल कृषकों एवं कृषकों व कृषक समूह तथा सहकारिता/

उत्पादन कम्पनियों के निर्माण को बढ़ावा देना।

(x) पशुधन क्षेत्र से संबंधित मौलिक पायलट प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना एवं सफल पायलट प्रोजेक्ट का विस्तार करना।

(xi) कृषक के उद्यम की मार्केटिग, प्रसंस्करण तथा मूल्य वृद्धि के लिए अधोसंरचना एवं रुप–रेखा तैयार करना।

(xii) जोखिम प्रबंधन के उपायों को बढावा देने के साथ कृषकों को पशुधन बीमा की सुविधा देना।

(xiii) पशुओ में बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देना, पर्यावरण प्रदूषण रोकना,खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता के प्रयासों को बढ़ावा देना। पशु शव का समय पर उपयोग करते हुए उत्तम गुणवत्ता का चमड़ा उपलब्ध कराने के प्रयासों को बढ़ावा देना।

(xiv) पशुपालन गतिविधियों में सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, नस्ल संरक्षण में समुदाय की सहभागिता को बढ़ावा देना एवं राज्य के संसाधनों को बढ़ाने के लिए रूप–रेखा तैयार करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय पशुधन मिशन को चार उप–मिशन की गतिविधियों के अनुसार संचालित किया जा रहा है–

1. उप–मिशन – पशुधन विकास
2. उप–मिशन – पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूकर विकास
3. उप–मिशन – पशु खाद्य एवं चारा विकास
4. उप–मिशन – दक्षता संवर्धन, तकनीकि हस्तानांतरण एवं विस्तार

3.7.1.1 राष्ट्रीय पशुधन मिशन ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास योजना

भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त वर्गों के हितग्राहियों के लिए 100 प्रतिशत अनुदान पर यह योजना वर्ष 2010–11 से मध्यप्रदेश में प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2016–17 से यह योजना 60 प्रतिशत् केन्द्रांश व 40 प्रतिशत् राज्यांश पर संचालित की जा रही है। योजना की इकाई लागत् राशि ` 3,750 है।

योजनान्तर्गत प्रत्येक हितग्राही को बिना लिंग भेद के 4 सप्ताह के लो इनपुट टेक्नॉलोजी वाले 45 पक्षी दो चरणों में क्रमशः 25 व 20 चूजे 16 सप्ताह के अन्तराल से मदर यूनिट के माध्यम से प्रदाय किए जाते हैं। साथ ही पक्षियों के लिए दढ़बा बनाने हेतु राशि `1,500 दिए जाने का प्रावधान है जो सीधे हितग्राही के खाते में जमा किए जाते हैं।

एक मदर यूनिट से 300 हितग्राहियों को चूजे प्रदाय किए जाते है मदर यूनिट के हितग्राही को राशि ` 60,000 अनुदान दिए जाने का प्रावधान है जो सीधे उनके खाते में जमा किया जाता है। मदर यूनिट के हितग्राही को 4 सप्ताह के चूजों की राशि ` 50 प्रति चूजा का भुगतान उनके द्वारा चूजे बी.पी.एल. हितग्राहियों को प्रदाय उपरान्त जिले के उप संचालक द्वारा किया जाता है।

तालिका 3.3

राष्ट्रीय पशुधन मिशन –ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि

(राशि ` लाख में)

क्रं	योजना का नाम	**वर्ष**

		2018–19		2019–20		2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	
		प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय
1	राष्ट्रीय पशुधन मिशन – ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास	920.14	162.00	758.14	567.14	710.66	297.00

नोटः– कोबिड 19 के कारण लक्ष्य के विरुद्व व्यय कम रहा।

तालिका 3.4

राष्ट्रीय पशुधन मिशन–ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास योजना अन्तर्गत भौतिक उपलब्धि

(राशि ` लाख में)

वर्ष							
क्रं0	योजना का नाम	2018–2019		2019–20		2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	राष्ट्रीय पशुधन मिशन – ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास	40800	7200	33600	25206	31490	12405

नोटः– कोबिड 19 के कारण लक्ष्य के विरुद्व व्यय कम रहा।

3.7.1.2 रिस्क मैनेजमेंट एवं पशुधन बीमा

योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं हेतु बीमे की सुविधा प्रदान कर, दुधारू/गैर–दुधारू पशुओं की मृत्यु से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करना एवं होने वाली आर्थिक हानि को रोकना है। योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

भारत सरकार वर्ष 2014–15 से योजना को रिस्क मैनेजमेंट के रुप में राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livesstock Mission) में शामिल किया है जिसमें प्रदेश के समस्त जिले सम्मिलित हैं। योजनांतर्गत सभी प्रकार के पशुओं का बीमा (दुधारू देशी/संकर गाय व भैंस, अन्य पशु जैसे घोडा, गधा, ऊंट, नर गौवंश व भैंसवंश, बकरी, भेड़, सूकर, खरगोश आदि पशुओं का बीमा कर लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। अब यह योजना गरीबी रेखा से ऊपर वाले हितग्राहियों हेतु केद्रांश 25 प्रतिशत, राज्यांश 25 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत हितग्राही अंशदान से तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे वाले हितग्राहियों हेतु केद्रांश 40 प्रतिशत, राज्यांश 30 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत हितग्राही अंशदान पर संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 11168, वर्ष 2015–16 में 37486, वर्ष 2016–17 में 59113, वर्ष 2017–18 में 38219, वर्ष 2018–19 में 52908, वर्ष 2019–20 में 52704 एवं वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर तक 7456 पशुओं का बीमा किया गया है।

3.7.2 एकीकृत नमूना सर्वेक्षण

यह योजना केन्द्रांश व राज्यांश के 50:50 के अनुपात में वित्त पोषित है। इस योजनान्तर्गत एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के आधार पर दूध, अण्डा, ऊन व मांस जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन का आंकलन किया जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार पशुधन उत्पाद का आंकलन ऋतुवार तथा वार्षिक आधार पर किया जाता है।

3.7.3 पशुधन स्वास्थ्य

केन्द्र व राज्य शासन के कमशः 60:40 के अनुपात में वित्तीय प्रबन्ध के आधार पर यह योजना संचालित है। इस योजनान्तर्गत आर्थिक रुप से महत्वपूर्ण पशुधन व कुक्कुट रोगों के नियंत्रण के लिए टीकाकरण, पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान, पशु रोग अनुसंधान प्रयोग शालाओं के सुदृढ़ीकरण, पशु चिकित्सा संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण विभिन्न संक्रामक बीमारियों के नियंत्रण हेतु कार्यक्रम, पशु चिकित्सकों व पैरावेट को सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रावधान आदि रहता है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं:

3.7.3.1 पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता

3.7.3.2 व्यवसायिक दक्षता कार्यक्रम

3.7.3.3 पशु चिकित्सालयों एव औषधालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण

3.7.3.4 पी.पी.आर. नियंत्रण कार्यक्रम

3.7.3.5 मातामहामारी के सर्वेक्षण एवं मॉनीटरिंग हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

3.7.3.6 एन.ए.डी.आर.एस.

3.7.4 राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत शासन की 100 प्रतिशत सहायता से चलाए जा रहे है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एफ.एम.डी. एवं ब्रूसेला नियंत्रण हेतु शत्–प्रतिशत् पशुओं का टीकाकरण किया जाता है साथ ही इन सभी पशुओं में Ear Tag आवश्यक रूप से लगाए जा रहे हैं।

3.7.4.1 एफ.एम.डी. नियंत्रण कार्यक्रम

3.7.4.2 ब्रूसेला नियंत्रण कार्यक्रम

3.7.5 पशु संगणना

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य में 20वीं पशु संगणना भारत सरकार के निर्देशन में सम्पन्न की गई एवं भारत सरकार द्वारा 20वीं पशु संगणना के अनन्तिम आंकड़े अधिसूचित किए गए।

20वी पशु संगणना रहवासीवार/गैर रहवासीवार तथा नस्लवार पशुधन एवं कुक्कुट तथा पशुपालन क्षेत्र के उपयोग में लाए जाने वाले कृषि उपकरण व मत्स्यपालन सांख्यिकी की गणना की गई है।

3.7.6 बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत 6 जिलों कमशः सागर, दमोह, टीकमगढ, छतरपुर, पन्ना, दतिया सम्मिलित किए गए हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पशुपालको को लाभान्वित एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु डेयरी विकास कार्यक्रम एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम जैसे कार्यो

को लिया गया है। भारत सरकार से प्रथम चरण में ए.सी.ए. (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) घटक में राशि ` 80.70 करोड़ विभाग को प्राप्त हुए हैं जिसका शत्–प्रतिशत उपयोग किया गया है।

इसी प्रकार बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के द्वितीय चरण में विभाग हेतु राशि ` 80 करोड़ की योजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर विमुक्त की गई है। योजनान्तर्गत द्वितीय चरण की पूर्ण राशि ` 80.00 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

तालिका 3.5
बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत प्रगति

प्रथम चरण

क्रं.	गतिविधि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	उपलब्धि प्रतिशत
1	म0प्र0राज्य सहकारी दुग्ध संघ द्वारा डेयरी डेवलपमेंट एक्टीविटी– डेयरी सोसाइटी का गठन बल्क मिल्क कूलर डेयरी प्लांट का सुदृढ़ीकरण सदस्यता दुग्ध संकलन किग्रा/दिन	 500 9 1 15000 25000	 561 14 1 17664 28042	 100
2	मुर्रा सांड प्रदाय	2403	2403	100
3	बकरी इकाई प्रदाय	5296	5296	100
4	फॉडर बैंक की स्थापना	3	3	100
5	मिनौरा जिला टीकमगढ में बकरी प्रक्षेत्र की स्थापना	1	1	100
6	एन.जी.ओ के माध्यम से पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना	111	111	100
7	म.प्र.राज्य सहकारी दुग्ध संघ द्वारा पशु आहार संयंत्र की स्थापना तथा दुग्ध उत्पाद के विपणन कार्य	1	संयंत्र संचालित	100

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत प्रगति

द्वितीय चरण

क्रं.	गतिविधि	भौतिक प्रगति	रिमार्क
1	म0प्र0राज्य सहकारी दुग्ध संघ द्वारा डेयरी डेवलपमेंट एक्टीविटी (प्रथम चरण में गठित समितियों का सुदृढ़ीकरण, अनुश्रवण, प्रशिक्षण) समिति सचिव	 561	

	टैस्टर पशु स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षण 138 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में गर्भाधान चैफ कटर वितरण स्वास्थ्य शिविर डेयरी प्लांट का सुद्ढ़ीकरण	561 138 206831 3320 840 1	गतिविधि पूर्ण
2	रतौना जिला सागर में तरल नत्रजन संयंत्र की स्थापना	1	संयंत्र स्थापित, तरल नत्रजन उत्पादन एवं वितरण बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 6 जिलों में किया जा रहा है।
3.	रतौना जिला सागर में कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	1	पूर्ण
4.	मुर्रा नर वत्स संगोपन इकाई की स्थापना(रतौना जिला सागर,मिनौरा जिला टीकमगढ़ एवं दतिया में)	2283	2283 संगोपित मुर्रा नर प्रदाय, रतौना एवं मिनौरा में निर्माण कार्य पूर्ण।
5.	ट्रेविस एवं शेड की स्थापना (1000 पंचायतों में)	939 पूर्ण	शेष 61 पंचायतों में कार्य निर्माणाधीन
6.	दतिया जिले में सीमेन स्टेशन की स्थापना	निर्माणाधीन	कार्य पूर्ण
7.	त्वरित चारा विकास कार्यक्रम	16504 हेक्टेयर	16504 हेक्टेयर में चारा उत्पादन कार्यक्रम

3.7.7 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

तालिका 3.6

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की विगत तीन वर्षो की वित्तीय स्थिति

(राशि ` करोड में)

विवरण	2018–19	2019–20	2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)
एस.एल.एस.सी. द्वारा स्वीकृत	97.75	111.54	120.70
पशुपालन विभाग को विमुक्त राशि	72.87	105.00	70.41
व्यय	72.87	34.59	22.58
शेष	**0.00**	**70.41**	**47.83**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2020–21 के लिये स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है–

3.7.7.1 भोपाल दुग्ध संघ परिसर में दुग्ध उत्पाद् भवन का निर्माण

इस परियोजना की कुल लागत राशि ` 1200.00 लाख है जिसमें दुग्ध संघ द्वारा 50 प्रतिशत की राशि ` 600.00 लाख तथा केन्द्र सरकार द्वारा राशि ` 600.00 लाख वहन किया जाएगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य डेयरी परिसर में दुग्ध उत्पाद् हेतु भवन

निर्माण करते हुए आवश्यक अधोसंरचना जैसे रेफ्रिजरेशन प्रणाली, कोल्ड रूम कंडेशनर, कम्प्रेशर, बटर पैकिंग मशीन, स्टोरेज टैंक आदि सम्मिलित कर सांची ब्रांड के दुग्ध उत्पाद् श्रृंखला निर्मित करने पर केन्द्रित है।

परियोजना के माध्यम से 79241 दुग्ध उत्पादक के साथ–साथ लगभग 20 लाख शहरी उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

3.7.7.2 इंदौर में 1000 मेट्रिक टन क्षमता का मक्खन भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोरेज का निर्माण

इस परियोजना की कुल लागत राशि ` 500.00 लाख है जिसमें दुग्ध संघ द्वारा 50 प्रतिशत की राशि ` 250.00 लाख तथा केन्द्र सरकार द्वारा राशि ` 250.00 लाख वहन किया जाएगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य डेयरी परिसर में 1000 मेट्रिक टन क्षमता का मक्खन भण्डारण हेतु इंदौर में कोल्ड स्टोर निर्मित करने पर केद्रित है। इसके साथ–साथ परियोजना के अन्तर्गत सिवल कार्य, विद्युतीकरण, मल्टीस्टोरी ट्रेक, रेफ्रिजरेशन प्रणाली, 100 के.वी.ए. डीजी सेट, हार्ड पार्क आदि कार्य सम्मिलित है।

परियोजना के माध्यम से 1548 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 61000 दुग्ध उत्पादक सदस्य के साथ–साथ लगभग 4.50 लाख शहरी उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

3.7.7.3 उज्जैन दुग्ध संयंत्र का सुदृढ़ीकरण

इस परियोजना की कुल लागत रू. 493 लाख है, जिसमें दुग्ध संघ द्वारा 50 प्रतिशत की राशि रू. 246.50 लाख तथा केन्द्र शासन द्वारा रू. 246.50 लाख वहन किया जायेगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य उज्जैन डेयरी का सुदृढीकरण 10 के एल प्रति घंटा क्षमता का मिल्क होमोजनाईजर तथा 15 के एल प्रति घंटा क्षमता का क्रीम सेपरेटर स्थापित कर किया जाना है। इसके माध्यम से दुग्ध संघ द्वारा आकास्मिक परिस्थितियों तथा फ्लश सीजन में अत्याधिक दूध की मात्रा को व्यवस्थित रूप से संचालित करते हुए वांछिक सहयोग प्राप्त होगा। इस परियोजना की आवश्यकता डेयरी संयत्रं में पूर्व से संचालित पाश्चुराईजर अत्यधिक पुराना होकर दैनिक संचालन में व्यवधान उत्पन करने के कारण नवीन उपकरण स्थापित करना है।

परियोजना के माध्यम से लगभग 7000 हजार दुग्ध उत्पादक के साथ–साथ लगभग 96 हजार शहरी उपभोक्ता लांभान्वित होंगे।

3.7.7.4 रीवा में 20,000 ली. प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेयरी संयंत्र की स्थापना

इस परियोजना की कुल लागत रू. 350.07 लाख है, जिसमें दुग्ध संघ द्वारा 50 प्रतिशत की राशि रू. 175.03 लाख तथा केन्द्र शासन द्वारा रू. 175.04 लाख वहन किया जायेगा। वर्ष 2016–18 की अवधि में इस परियोजना के प्रथम चरण में रू. 360 लाख परियोजना क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराये गये थें। वर्ष 2020–21 में इस परियोजना के द्वितीय चरण में रू. 350.07 लाख की राशि परियोजना क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत की गई है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य रीवा जिले में 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का नवीन डेयरी संयत्रं स्थापित करना है। पूर्व परियोजना के तहत शेष गतिविधियों यथा दुग्ध प्रसंस्करण इकाई, सीआईपी प्रणाली, रेफ्ररेजेशन प्रणाली, विद्यृतिकरण, ईटीपी तथा आवश्यक उपकरण को स्थापित किये जाने पर केन्द्रित है।

परियोजना के माध्यम से 4200 दुग्ध उत्पादक सदस्य के साथ–साथ शहरी उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त परिसर के आसपास प्रदूषण रहित वातावरण निर्मित कर शहरी उपभोक्ताओं को सॉची ब्रांड के दूध एंव दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे।

3.7.7.5 शिवुपरी जिले में नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना

योजना की कुल लागत 694.39 लाख है। वित्त वर्ष 2020–21 में इस योजना के तहत स्वीकृत राशि रू. 284.00 लाख से प्रथम चरण में बकरियों के लिए शेड का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था एवं चारागाह विकास का कार्य प्रस्तावित है। योजना के तहत 2000 जमुनापारी बकरिया एवं 200 जमनापारी बकरे क्रय किए जाकर नस्ल सुधार कार्यक्रम किया जाएगा।

3.7.7.6 झाबुआ जिले में स्थापित कड़कनाथ कुक्कुट प्रक्षेत्र एवं छिन्दवाड़ा, शहडोल, सागर, गुना, ग्वालियर, रीवा जिले में स्थापित कुक्कुट प्रक्षेत्रो का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण

इस योजना की कुल लागत 202.00 लाख है। योजना के तहत झाबुआ जिले में स्थापित कड़कनाथ कुक्कुट प्रक्षेत्र एवं छिन्दवाड़ा, शहडोल, सागर, गुना, ग्वालियर, रीवा जिले में स्थापित कुक्कुट प्रक्षेत्रो का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य प्रस्तावित है। योजना के तहत कुक्कुट प्रक्षेत्रों में नवीन हैचर/सेटर की स्थापना, आटोमेटेड फीड यूनिट की स्थापना, आटोमेटेड वाटर यूनिट की स्थापना आदि कार्य किए जाएंगे।

3.7.7.7 निवाड़ी जिले में नवीन पॉलीक्लिनिक की स्थापना

योजना की कुल लागत 100.00 लाख है। योजना के तहत नवीन जिला निवाड़ी में आधुनिक पशु चिकित्सा सुविधाओं से युक्त पॉलीक्लिनिक की स्थापना की जानी है। योजना के तहत रू. 60.00 लाख भवन निर्माण, रू. 30.00 लाख आधुनिक उपकरणों आदि की स्थापना, रू. 10.00 लाख पेथोलाजी लेब की स्थापना हेतु स्वीकृत किए गए है।

3.7.7.8 सांडो में बधियाकरण कार्यक्रम

प्रदेश में निकृष्ट सांडो की संख्या गांव–गांव में विद्यमान है जिससे मादा पशुओं का प्रजनन इनके द्वारा होता रहता है। फलस्वरूप कम उत्पादक क्षमता वाले संतति उत्पन्न होने से दुग्ध उत्पादन कम होता है। प्रदेश में पशुओं के नस्ल सुधार को दृष्टिगत रखते हुए निकृष्ट सांडो के बधियाकरण का कार्यक्रम लिया गया है। ताकि मादा पशुओं का प्रजनन निकृष्ट सांडो (जिनकी उत्पादक क्षमता बहुत ही कम है) से रोका जा सके। योजना की स्वीकृत लागत 1200.00 लाख रू. है। योजना के तहत प्रदेश के समस्त जिलो में कार्यक्रम चलाया जाकर लगभग 12 लाख निकृष्ट सांडो का बधियाकरण किया जाएगा। योजना के तहत गौसेवक/मैत्री/कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं आदि को प्रति बधियाकरण रू. 75 मानदेय के रूप में दिए जायेंगे। बधियाकरण का डाटा इनाफ पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

3.7.7.9 राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण

योजना की कुल लागत 202.05 लाख है। योजना के भोपाल में स्थापित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान में स्मार्ट क्लॉस रूम की स्थापना एवं डिमोस्टेशन लेबोरेटरी बिल्डिग का सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है।

3.7.7.10 प्रदेश में स्थापित कम उत्पादक डेयरियों में साइलेज बनाने की मशीनों की स्थापना

योजना की कुल लागत 100.00 लाख है। योजना के तहत प्रदेश में स्थापित कम उत्पादक डेयरीयों में से कुल 50 डेयरीयों में साइलेज बनाने की मशीनों की स्थापना 50 प्रतिशत अनुदान पर की जाएगी। इस योजना की इकाई लागत रू. 4.00 लाख है। जिसमें से रू. 2.00 लाख हितग्राही अंशदान एवं रू. 2.00 लाख अनुदान के रूप में देय होंगे।

3.7.7.11 नेशनल कामधेनू ब्रीडिंग सेंटर, कीरतपुर (इटारसी) में अतिरिक्त अधोसंरचना का विकास

भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से कीरतपुर, इटारसी में नेशनल कामधेनू ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है। भारत सरकार के निर्देशानुसार ही उक्त केन्द्र पर Construction of additional infrastructure (Peripheral) के तहत बायोगैस संयंत्र की स्थापना, पशु औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा, प्रशासनिक भवन, वर्षा के पानी को संरक्षित करने हेतु तालाब का निर्माण आदि गतिविधियां ली गई है। केन्द्र का उद्देश्य भारतीय गौ–भैंसवंशीय नस्लों का संरक्षण एवं संवर्धन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, भारतीय नस्लों का अनुवांशिक उन्नयन, कृषकों एवं संस्थानों को म्सपजम प्रमाणिकता का जर्मप्लाज्म उपलब्ध कराना, विलुप्त प्रायः प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना।

3.7.7.12 उज्जैन एवं शहडोल में 1100 लीटर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के तरल नत्रजन संयंत्रों की स्थापना

योजनान्तर्गत उज्जैन एवं शहडोल संभाग मुख्यालय पर तरल नत्रजन संयंत्र स्थापित किये जाना है। प्रदेश में वर्तमान में 16 से 17 लाख लीटर तरल नत्रजन की आवश्यकता है, जबकि प्रदेश में 9.00 लाख तरल नत्रजन का उत्पादन होता है। इसलिये 1100 लीटर प्रतिदिन तरल नत्रजन उत्पादन क्षमता के 02 तरल नत्रजन संयंत्र स्थापित किये जायेंगे। प्रत्येक तरल नत्रजन संयंत्र से 1100 लीटर प्रतिदिन तरल नत्रजन का उत्पादन होगा। तरल नत्रजन का उपयोग हिमीकृत वीर्य के संधारण में होता है। बिना तरल नत्रजन के सीमन का संधारण किया जाना संभव नहीं है। उपरोक्त तरल नत्रजन संयंत्रों की स्थापना होने से प्रदेश में तरल नत्रजन की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकेंगी। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत 76.50 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्य दिये गये है। इस प्रकार से योजना का क्रियान्वयन किया जाना उपयोगी है।

3.8 राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Animal Disease Control Program NADCP)

भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा ''राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Animal Disease Control Program NADCP) प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम अंतर्गत समस्त गौवंशीय, भैंसवंशीय सूकर, बकरी एवं भेड

नस्ल के पशुओं को एफ.एम.डी. (मुँहखुरी) का टीका लगाया जाना है। कार्यक्रम अंतर्गत समस्त पशुओं को टीके के साथ–साथ यू.आई.डी. टेग से टैगिंग की जाना है, पशु स्वास्थ्य यह टीकाकरण कार्ड प्रदाय किया जाना है एवं समस्त पशुओं की जानकारी एवं टीकाकरण की जानकारी भारत सरकार के इनॉफ पोर्टल (इन्फारमेशन नेटवर्क फॉर एनीमल प्रोडक्टिीविटी एण्ड हेल्थ–INAPH) पर ऑनलाईन जानकारी दर्ज की जानी है। योजना अंतर्गत समस्त पशुओं को वर्ष में दो बार 06 माह के अंतराल में टीकाकरण किए जाने की योजना है। राज्य में कार्यक्रम का प्रथम चरण 01.08.2020 को प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम अंतर्गत 252.35 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया तथा टैग लगाए गए है।

3.9 राष्ट्रीय गोकुल मिशन

3.9.1 राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (नेशनवाइड आर्टीफीशियल इन्सेमिनेशन प्रोग्राम) NAIP

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP) राष्ट्रीय गौकुल मिशन के अर्न्तगत प्रारम्भ किया गया है जिसका मुख्य उदेश्य कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उच्च उत्पादक क्षमता वाले नर (सांड/पाड़े) के वीर्य का उपयोग कर गाय/भैंसो का जेनेटिक अपग्रेडेसन कर कृषकों की आय में वृद्वि करना है। जो कृषकों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

उक्त कार्यक्रम पूरे देश में ऐसे जिलों में प्रारम्भ किया गया है जिनमें कृत्रिम गर्भाधान कवरेज 50 प्रतिशत से कम है। प्रदेश के सभी 52 जिलों में उक्त कार्यक्रम संचालित है। कार्यक्रम में संपादित कृत्रिम गर्भाधान की इन्ट्री इनॉफ पोर्टल पर की जा रही है। कृत्रिम गर्भाधान से गर्भधारण एवं वत्सोपादन की इन्ट्रीज भी इनॉफ पोर्टल पर की जा रही है।

राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का प्रथम चरण 15 सितम्बर 2019 से प्रारम्भ होकर 31 मई 2020 को समाप्त हो चुका है। प्रथम चरण में प्रति जिला 100 ग्रामो का चयन कर प्रति ग्राम 200 गौ–भैसवंशीय पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रति जिला 20000 गौ–भैसवंशीय पशुओं को एवं प्रदेश में कुल 10.20 लाख गौ–भैसवंशीय पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान से कवर किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध 9.05 लाख गौ–भैसवंशीय पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान सम्पादित किया गया।

राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का द्वितीय चरण 1 अगस्त 2020 से प्रारम्भ होकर 31 मई 2021 तक संचालित किया जाएगा। द्वितीय चरण में प्रत्येक जिले से 500 ग्रामों का चयन किया गया है, प्रति ग्राम औषतन 100 पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान से कवर करने का लक्ष्य रखा गया है, इस प्रकार प्रति जिला 50000 गौ–भैसवंशीय पशुओं को एवं प्रदेश में कुल 25.50 लाख गौ–भैसवंशीय पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान से कवर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

3.10 आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप की प्रगति

आत्मनिर्भर म.प्र. रोडमैप अंर्न्तगत पशुपालन विभाग की 27 गतिविधियां चिन्हांकित की गई हैं जिनके माध्यम से पशुपालन क्षैत्र का समग्र विकास हो सकेगा इन समस्त

गतिविधियों पर विस्तृत कार्य योजना तैयार करते हुए कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। आत्मनिर्भर म.प्र. रोडमैप में उल्लेखित विभाग की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों की प्रगति निम्नानुसार है।

3.10.1 पशुपालन मे संलग्न 3 लाख पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदाय करने के लक्ष्य के विरूद्व वर्तमान में 4 लाख आवेदन बैंको में प्रस्तुत किये गये हैं जिनके विरूद्व बैंको द्वारा 73500 किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किये गये हैं।

3.10.2 जिला सिवनी में पॉयलट आधार पर बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान सुविधा प्रारंभ की गई है।

3.10.3 नौनेर, दतिया में केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय की स्थापना हेतु नवनिर्मित भवन को लोकार्पण दिनांक 23.01.2021 को किया गया है।

3.10.4 युवाओं को पशुपालन के क्षैत्र में आकर्षित करने के उद्देश्य से नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय अंतर्गत ज्ञान पोर्टल की स्थापना की गई है। साथ ही युवाओं को पशुपालन के क्षैत्र में उद्यामिता के अवसर संबंधित जानकारी देने हेतु राज्य स्तर के तीन एवं प्रत्येक जिले में एक युवा संवाद का आयोजन किया गया है।

3.10.5 केवल मादा बछिया के जन्म को सुनिश्चित करने हेतु सॉरटेड सेक्सड सीमन तकनीक प्रयोगशाला का निर्माण पूर्णता की ओर है।

3.10.6 प्रदेश में दुग्ध संकलन को बढ़ाने तथा दुग्ध सहकारिता कार्यक्रम को विस्तारित करने के उद्देश्य से 253 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है।

भाग – चार

शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र/भेड़ प्रक्षेत्र/बकरी प्रक्षेत्र एवं कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र

4.1 शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का उददेश्य

पशुओं के नस्ल का संरक्षण एवं संवर्धन कर विभिन्न विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों को उन्नत नस्ल के सॉड/ पाड़े उपलब्ध करना।

तालिका 4.1
शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों की जानकारी

क्र	शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी			
		स्थापना वर्ष	उपलब्ध नस्ल	कुल पशुधन	कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1	शास. जर्सी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भदभदा (भोपाल)	वर्ष 1976–77	जर्सी, साहीवाल, जर्सी साहीवालक्रास	185	152

2	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र मिनोरा (टीकमगढ़)	वर्ष 1972	हरियाणा	288	350
3	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र आगर (शाजापुर)	वर्ष 1942	मालवी, मुर्रा	431	1150
4	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रोड़िया (खरगोन)	वर्ष 1979	निमाड़ी	198	103
5	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र इमलीखेड़ा (छिन्दवाड़ा)	वर्ष 1954–55	साहीवाल, जर्सी साहीवाल क्रास	447	112
6	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र गढ़ी (बालाघाट)	वर्ष 1917	साहीवाल, संकर जर्सी	373	1080
7	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र पवई (पन्ना)	वर्ष 2010	केनकाठा	140	995

4.2 शासकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र का उददेश्य

उन्नत नस्ल के मेढे तैयार कर भेड़ विस्तार केन्द्रों के माध्यम से पशुपालकों को प्रदाय कर स्थानीय भेड़ की नस्ल में सुधार लाना।

तालिका 4.2
शासकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों की जानकारी

क्र	शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी			
		स्थापना वर्ष	उपलब्ध नस्ल	कुल पशुधन	कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1	शास. भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र बांसाखेड़ी (मंदसौर)	वर्ष 1954	मेरीनों चोकला संकर	26	163
2	शास. भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पड़ोरा (शिवपुरी)	वर्ष 1975	रेम्बूलेट क्रास, जमुनापारी क्रास	116	197
3	शास. भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा (टीकमगढ़)	वर्ष 1958	रेम्बूलेट एवं कॉरीडेल	261	355

4.3 शासकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र का उद्देश्य

जमनापारी नस्ल की बकरियों का संरक्षण एवं संवर्धन कर विभिन्न विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों/ पशुपालकों को उपलब्ध कराना।

तालिका 4.3
शासकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की जानकारी

क्र	शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी			
		स्थापना वर्ष	उपलब्ध नस्ल	कुल पशुधन	कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1	शास. बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र आरोन (ग्वालियर)	वर्ष 1980	बरबरी, जमुनापारी	359	312
2	शास. बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा (टीकमगढ़)	वर्ष 2013	जमुनापारी	546	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा की भूमि

					पर स्थापित
3	शास. बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र चिनकी उमरिया (नरसिंहपुर)	वर्ष 2019	सिरोही	102	54
4	शास. बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र ठीकरी (बड़वानी)	वर्ष 2020	जमुनापारी	65	129

4.4 शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र का उद्देश्य

कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर लो इनपुट टेक्नोलॉजी वाले पक्षियों का संवर्धन कर विभिन्न विभागीय योजनाओं में प्रदाय करने हेतु एक दिवसीय चूजों का उत्पादन करना प्रक्षेत्र का उद्देश्य है साथ ही कड़कनाथ कुक्कुट प्रक्षेत्र झाबुआ में मध्य प्रदेश का गौरव कहलाने वाले कड़कनाथ नस्ल के पक्षियों का संरक्षण एवं संवर्धन करने के साथ–साथ विभागीय कड़कनाथ प्रदाय योजना अन्तर्गत चूजा प्रदाय करने हेतु एक दिवसीय चूजों का उत्पादन करना मुख्य उद्देश्य है।

तालिका 4.4

शासकीय कुक्कट पालन प्रक्षेत्र की जानकारी

क्र	शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी वर्ष 2020–21			
		स्थापना वर्ष	उपलब्ध नस्ल	कुल उपलब्ध मादा पेरेन्ट पक्षी (माह दिसम्बर तक)	कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1	शास. कुक्कुट प्रक्षेत्र अनुसंधान हताईखेड़ा, भोपाल	वर्ष 1968–69	कड़कनाथ आर.आई.आर. रंगीन ब्रायलर नर्मदा निधि जापानी बटेर	2768 1142 513 768 3232	11
2	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र इन्दौर	वर्ष 1963–64	कड़कनाथ	2725	13

3	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र ग्वालियर	वर्ष 1986–87	चाब्रो कड़कनाथ आर0आई0आर0	1769 920 919	3
4	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र गुना	वर्ष 1988–89	आर0आई0आर0 चाब्रो	1704 735	7
5	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र सागर	वर्ष 1986–87	आर0आई0आर0	2650	10
6	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र रीवा	वर्ष 1964–65	आर0आई0आर0	1688	5
7	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र छिन्दवाड़ा	वर्ष 1965–66	वन राजा	2020	12
8	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र शहडोल	वर्ष 1960–61	आर0आई0आर0 कड़कनाथ	1314 1031	6
9	शास. कड़कनाथ कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र झाबुआ	वर्ष 1978–79	कड़कनाथ	3100	6
कुल				**28998**	**74**

भाग–5
सामान्य प्रशासनिक जानकारी
तालिका 5.1
विभाग में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की संख्या
(माह दिसम्बर 2020 की स्थिति में)

क्रमांक	श्रेणी / पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत
1	संचालक	1	1
2	अपर संचालक	2	–
3	संयुक्त संचालक	21	7
4	उप संचालक / सिविल सर्जन पशु चिकित्सा / पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी	207	87
5	उप संचाालक(रिसर्च)	1	–
6	सहायक संचालक / पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ / पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी	1671	1422
7	सहायक संचालक सॉख्यिकीय / सांख्यिकीय अधिकारी	17	5

8	क्षेत्रीय अधिकारी (सॉख्यिकीय)	1	—
9	सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं	4	0
10	प्रशासनिक अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी/ लेखा अधिकारी	3	1
11	जन संचार दृश्य श्रव्य अधि0	1	—
12	खाघ विश्लेषक	1	—
13	उप यंत्री	3	3
14	मुख्य मानचित्रकार	1	1
15	सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी	48	23
16	विपणन निरीक्षक	5	1
17	सहा0पशु चिकि0 क्षेत्र अधि0, प0चि0क्षेत्र अधि0, वरिष्ठ प0चि0क्षेत्र अधि0, पशुधन क्षेत्र अधि0	5795	3238
18	प्रगति सहायक/संगणक	110	84
19	प्रगणक	72	60
20	प्रयोगशाला सहायक/तकनीशियन	132	82
21	क्षेत्र सहायक	40	18
22	प्लांट आपरेटर	11	8
23	दुग्ध अभिलेखक	17	7
24	प्रोजेक्ट आपरेटर	18	18
25	प्रोजेक्ट आपरेटर कनिष्ठ	5	5
26	विद्युतकार मैकेनिक	7	5
27	पट्टी बंधक वर्ग–1	15	8
28	लिपिक वर्गीय	849	590
29	वाहन चालक	167	109
30	चतुर्थ श्रेणी	2919	2673

तालिका 5.2

विभागीय नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां

(माह दिसम्बर 2020 की स्थिति में)

क्रमांक	पद श्रेणी	नियुक्तियॉ	पदोन्नतियॉ
1	प्रथम श्रेणी	—	—
2	द्वितीय श्रेणी	137	—
3	तृतीय श्रेणी	19	—

तालिका 5.3

विभागीय जॉच सम्बन्धी जानकारी

(माह दिसम्बर 2020 की स्थिति में)

कं0	श्रेणी	जॉच प्रकरणों की संख्या	निराकृत जॉच प्रकरण	लंबित जॉच प्रकरण
1	प्रथम श्रेणी	09	04	05
2	द्वितीय श्रेणी	17	06	11
3	तृतीय श्रेणी	12	05	07
4	चतुर्थ श्रेणी	—	—	—

तालिका 5.4

विभाग के विरुद्ध दायर न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति

(माह दिसम्बर 2020 की स्थिति में)

क0	पद श्रेणी	माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित/खारिज	निराकृत	पालन हेतु शेष	माननीय न्यायालय में कुल विचाराधीन प्रकरण
1	प्रथम श्रेणी	02	01	01	—
2	द्वितीयश्रेणी	07	05	02	07
3	तृतीय श्रेणी	05	05	03	09
4	चतुर्थ श्रेणी	02	01	02	06
	योग	**16**	**12**	**08**	**22**

तालिका 5.5

स्थानान्तरण
विभाग द्वारा किये गये स्थानांतरणों की जानकारी

(माह दिसम्बर 2020 की स्थिति में)

क्रमांक	श्रेणी/ पदनाम	स्थानांतरण की संख्या	संशोधन संख्या	निरस्त की संख्या
	(प्रथम श्रेणी)			
1	संयुक्त संचालक	03	01	—
2	उप संचालक/सिविल सर्जन/पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी	12	—	—

(द्वितीय श्रेणी)				
1	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	27	—	01
2	सहायक संचालक सांख्यकीय	—	—	—
(तृतीय श्रेणी)				
1	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	21	—	—
2	लिपिक वर्गीय	02	—	—

भाग–छः

विभागीय उपलब्धियां

6.1 महत्वपूर्ण विभागीय उपलब्धियॉ

- वर्ष 2019–20 में प्रदेश की दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर 7.53 प्रतिशत् है।
- वर्ष 2019–20 में दुग्ध उत्पादन 15911 हजार मेट्रिक टन से बढ़कर 17109 हजार मेट्रिक टन हुआ है। वर्ष 2019–20 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 538 ग्राम से बढ़कर 543 ग्राम हो गई है।
- वर्ष 2019–20 में अण्डा उत्पादन 21432 लाख से बढ़कर 23794 लाख हुआ है। वर्ष 2019–20 में प्रति व्यक्ति वार्षिक अण्डा उपलब्धता 26 अण्डा से बढ़कर 28 अण्डा वार्षिक हो गया है।
- दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उन्नत नस्ल के नर एवं मादा उत्पादित करने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण जैसी नवीन तकनीक का उपयोग प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक 96 भ्रूण संकलित किए गए तथा 80 भ्रूण प्रत्यारोपित किए गए एवं 59 वत्सों का उत्पादन हुआ।
- केन्द्रीय वीर्य संस्थान भदभदा भोपाल पर सुदृढ़ीकरण एवं विकास किया गया। संस्थान को भारतीय मानक ब्यूरो से IS/ISO 9001:2015 (BIS Certificate) प्रमाण पत्र दिनांक 12 जून 2019 से 24 मार्च 2022 तक के लिए प्राप्त।
- मध्यप्रदेश की पशु प्रजनन नीति के अनुसार केन्द्रीय वीर्य संस्थान भोपाल पर देश/प्रदेश के गौवंश मालवी, निवाड़ी, केनकथा, गिर, साहीवाल एवं थारपारकर नस्ल, भैंसों की मुर्रा, जाफरावादी एवं भदावरी नस्ल, जर्सी, जर्सी संकर, एच.एफ. संकर, नस्ल आदि का 30 लाख डोजेज से अधिक फ्रोजन सीमन का उत्पादन किया जा रहा है।
- केन्द्रीय वीर्य संस्थान के द्वारा वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक गौ एवं भैंस वंशीय नस्लों का 18.89 लाख फ्रोजन सीमन डोजेज का उत्पादन तथा 27.42 लाख फ्रोजन सीमन का वितरण किया गया।
- प्रदेश में वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक 10089 पंजीकृत दुग्ध सहकारी समितियों में से 6982 दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत है।
- वर्ष के दौरान 8.76 लाख किग्रा प्रतिदिन औसत दुग्ध संकलन तथा 6.32 लाख लीटर प्रतिदिन औसत दुग्ध विक्रय किया गया।
- लॉकडाउन अवधि के दौरान दुग्ध संघों द्वारा कुल 2 करोड़ 54 लाख लीटर दूध अतिरिक्त रूप से क्रय किया गया तथा दुग्ध उत्पादकों को राशि ` 94 करोड़ की राशि का अतिरिक्त भुगतान किया गया। जिससे दुग्ध उत्पादक किसानों को आर्थिक रूप से मनोबल मिला।
- दुग्ध सहकारी समितियों से संबंद्ध 2.68 लाख दुग्ध उत्पादकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे है। वर्तमान में 2.18 लाख दुग्ध उत्पादकों के आवेदन प्रपत्र भरे जा रह जा चुके हैं जबकि 2.12 लाख दुग्ध उत्पादकों के आवेदन प्रपत्र दुग्ध संघों द्वारा अग्रेषित किए गए हैं तथा 1.88 लाख आवेदन विभिन्न बैंकों में प्रस्तुत किए गए हैं।

बैंको द्वारा 20,574 नवीन किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं एवं 7,409 किसानों की क्रेडिट लिमिट बढ़ाई गई है।

- सेंधवा में राशि ` 450 लाख की लागत से 40 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का नवीन दुग्ध संयंत्र स्थापित।
- इंदौर में राशि ` 400 लाख की लागत से आईसक्रीम संयंत्र स्थापित।
- जबलपुर में राशि ` 975.86 लाख की लागत से 10 मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित पनीर निर्माण संयंत्र की स्थापना, जिसके फरवरी 2021 तक पूर्ण होने की संभावना है।
- सागर में 1 लाख लीटर क्षमता के संयंत्र निर्माण का कार्य प्रगति पर। इसके मार्च 2021 में पूर्ण होने की संभावना है।
- रीवा में 20 हजार लीटर क्षमता के संयंत्र निर्माण का कार्य प्रगति पर।

भाग–सात

विभाग के अंतर्गत आने वाले निगम, बोर्ड एवं समितियॉ

7.1 म. प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम

म. प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना अधिनियम 37 (1982) के अन्तर्गत 19 नवम्बर 1982 को निगम के कामकाज, पशु उत्पादन (दूध तथा दुग्ध उत्पादों को छोड़कर) तथा कुक्कुट उत्पादों के संग्रहण, पालन पोषण और विपणन करने एवं पशु तथा कुक्कुट का संरक्षण, प्रबंध और विकास करने के उद्देश्य से हुई जिससे कि राज्य के पशुधन का विकास हो सके और उसमें वृद्वि हो सके।

तालिका 7.1

मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा कियान्वित प्रमुख योजनाओं की उपलब्धियां वर्ष 2020–21

क.	विवरण	वर्ष					
		2018–2019		2019–20		2020–21 (दिसम्बर तक)	
		भौतिक	वित्तीय (लाख राशि ` में)	भौतिक	वित्तीय (लाख राशि ` में)	भौतिक	वित्तीय (लाख राशि ` में)
1.	उच्चवंशीय पशुधन का प्रदाय(बैल जोड़ी भी सम्मिलित)	650	422.28	370	102.62	115	7.11
2.	नस्लसुधार (गौवंश/भैंसवंश/बकरा/सूकर)	4592	1283.04	4181	1116.35	1071	251.01
3.	पशु आहार का उत्पादन (मे.टन में) (गौ–भैंसवंश/बकरा एवं पक्षी)	2373.350	375.38	3459.20	649.31	2736.42	505.30
4.	तरल नत्रजन का विक्रय (लाख लीटर में)	12.87	406.05	13.11	498.23	9.86	429.85
5.	फ्रोजन सीमन का उत्पादन (लाख स्ट्रा)	25.35	536.00	30.65	704.05	18.89	606.00
6.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन (राष्ट्रीय गौ–भैंसवंशीय, पशु प्रजनन कार्यक्रम) (NPBB -2014-15)	कृ. ग. कार्यकर्ताओं का रिफरेशर प्रशिक्षण कृषकों के ओरियन्टेशन कार्यक्रम 548नग BA-3 कय 6000लीटर क्षमता का तरल नत्रजन परिवहन टैंकर का क्रय OMR-1 नग	309.27	BA2X-1000नग 1.5 Ltr -500नग TA55-100 नग BA35-100 नग BA20-100 नग तरल नत्रजन पात्रों का जिलों को प्रदाय कृ.ग. शीथ 1850000 ग्लब्स 1600000 कृ.ग.गन 6000 थवाइंग यूनिट 1000 केस्ट्रेटर 1000	394.63	मैत्री प्रशिक्षण–1000 कृ. गर्भा. केन्द्रों का सुदृढ़िकरण BA 3-1000 नग AI kit-2500 नग Castrator-2500 नग TA55-500 नग बुल मदर फार्म का सुदृढ़िकरण	676.05

7.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन अन्तर्गत कृषि कल्याण अभियान प्रथम द्वितीय तृतीय	कृत्रिम गर्भाधान 60000 240000 207440	223.08 69.50 257.20 222.83	—	—	मैत्री प्रशिक्षण–1100	567.62
8.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन अन्तर्गत नेशनवाइड कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP)	—	—	810628	1461.01	264908	694.85
9	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज (फैज 2) पेडीग्रीड मुर्रा सांड प्रदाय	572	223.08	194	75.66	34	13.60
10	रिस्क मैनेजमेन्ट एण्ड इन्श्योरेन्स (पशुधन बीमा योजना)	52908	378.43	55450	409.18	7456	54.07
11	दुग्ध उत्पादन एवं विक्रय, कीरतपुर (लाख लीटर)	0.99	47.92	1.53	73.03	1.13	52.10
12.	कीरतपुर (इटारसी) में मुर्रा भैंस प्रजनन केन्द्र की स्थापना	76 वत्स उत्पादित	30.40	119 वत्स उत्पादित	17.83	74 वत्स उत्पादित	1.75
13	भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला	127 भ्रूण संकलित किए एवं 143 प्रत्यारोपण, 62 वत्सों का उत्पादन	150.14	218 भ्रूण संकलित किए एवं 198 प्रत्यारोपण, 36 वत्सों का उत्पादन	230.28	96 भ्रूण संकलित किए एवं 80 प्रत्यारोपण, 59 वत्सों का उत्पादन	—
14	कीरतपुर (इटारसी) में नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेन्टर	निर्माण कार्य करना, कृषि उपकरण एवं कार्यालयीन उपकरण तथा 64 पशुओं का क्रय	1168.57	6 नवीन पशु शेड एवं 5 शेडों का जीर्णोद्धार प्रवेश द्वार, एपरोच रोड, सुरक्षा कक्ष, बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण, तथा 134 पशुओं का क्रय।	—	वत्स उत्पादन 50, 1 भैंस शेड का जीर्णोद्धार, भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की अधोसंरचना का कार्य प्रारम्भ तथा 177 पशुओं का क्रय	—
15	दतिया में सीमन स्टेशन की स्थापना	निर्माण कार्य पूर्ण ओव्हर टैंक का कार्य शेष	262.88	कार्य पूर्ण	342.86	कार्य पूर्ण	1342.00
16	कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान रतौना (सागर)	निर्माणा कार्य पूर्ण	402.40	निर्माण कार्य पूर्ण	98.00	निर्माण कार्य पूर्ण	—
17	राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रतौना, सागर में गोकुल ग्राम की स्थापना	—	—	* गोकुल ग्राम की अधोसंरचना एवं विकास का कार्य प्रगति पर 282 पशु क्रय (70 नर एवं 212 मादा)	627.42	गोकुल ग्राम का कार्य पूर्ण	—
18	टर्न ओवर	—	6009.37	—	6800.46	—	5251.31

*** संचालनालय पशुपालन द्वारा प्रक्षेत्र हस्तांतरण की कार्यवाही हो चुकी है दिनांक 6 मार्च 2019 को गोकुल ग्राम की स्थापना हेतु मा. मुख्यमंत्रीजी के द्वारा भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया है। गोकुल ग्राम की अधोसंरचना एवं विकास का कार्य प्रगति पर।**

7.1.1 बुल मदर फार्म, भदभदा, भोपाल

बुल मदर फार्म, भदभदा, भोपाल को ISO Certificate 9001:2008 प्रमाण पत्र प्राप्त है। प्रक्षेत्र पर गायों की देशी नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत 70 नंदी (गिर, साहीवाल, थारपाकर, हरियाणा, निमाडी एंव मालवी) वत्सों को संगोपित किया गया तथा 45 नंदी सान्डों को प्रदेश के हितग्राहियों/पशु पालकों को प्रदाय किया गया है।

7.1.2 राज्य स्तरीय केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय, भदभदा, भोपाल

केन्द्रीय वीर्य संस्थान, भदभदा, भोपाल का सुदृढ़ीकरण एंव विकास किया गया। संस्थान को भारतीय मानक ब्यूरों से ISO 9001:2015 (BIS Certificate) प्रमाण पत्र दिनॉक 25 मार्च 2016 से 24 मार्च 2019 तक के लिए प्राप्त। भारत सरकार के द्वारा गठित CMU की अनुशंसा पर केन्द्रीय वीर्य संस्थान, भदभदा, भोपाल को प्रथम वर्ष 2016 मे तथा (पुनः) 11 मार्च 2019 को A ग्रेड प्रदान किया गया है। मध्यप्रदेश की पशु प्रजनन नीति के अनुसार केन्द्रीय वीर्य संस्थान भोपाल पर देश/प्रदेश के गौ–वंश मालवी, निमाडी, केनकथा, गिर, साहीवाल एवं थारपारकर नस्ल, भैंसों की मुर्रा, जाफरावादी एंव भदावरी नस्ल, जर्सी, जर्सी शंकर, एच–एफ शंकर, एच. एफ. नस्ल आदि का 30 लाख डोजेज से अधिक फ्रोजन सीमन उत्पादन किया जा रहा है।

7.1.3 तरल नत्रजन संयत्र, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, इन्दौर

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत (RKVY) चार तरल नत्रजन संयंत्रों, भोपाल/इन्दौर /जबलपुर /ग्वालियर की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त बुंदेलखण्ड विशेष पैकेज फेज –2 के तहत सागर में एक तरल नत्रजन संयंत्र की स्थापना की गई है। एक तरल नत्रजन संयंत्र से एक दिवस में लगभग 500–600 लीटर के हिसाब से प्रतिवर्ष लगभग 1.8 लाख से 2.15 लाख लीटर तरल नत्रजन का उत्पादन होता है।

7.1.4 नेशलन कामधेनू ब्रीडिग सेन्टर, कीरतपुर, इटारसी होशंगाबाद

भारत सरकार के द्वारा उत्तर भारत के लिये मध्यप्रदेश राज्य में नेशनल कामधेनू ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार की 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता से मध्यप्रदेश में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, कीरतपुर (इटारसी) जिला होशंगाबाद में नेशनल कामधेनू ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में 17 देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशु रखे जायेंगे।

योजना का उद्देश्य : भारतीय गौ–भैंस वंशीय नस्लों का संरक्षण एवं संर्वधन,उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि,अनुवांशिक गुणवत्ता का उन्नयन,प्रमाणित Elite Germplasm का प्रदाय,देशी नस्लों को विलुप्त होने से बचाना।

7.1.5 पशु/कुक्कुट आहार संयंत्र, कीरतपुर (इटारसी) एवं इंदौर

संस्थान का उद्देश्य प्रदेश के पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता तथा उचित मूल्य पर पशु आहार प्रदाय सुनिश्चित करना साथ ही दुधारू पशुओं एंव अन्य पशुओं के लिए पशु आहार का उत्पादन एवं इनका विकास करना है।

7.1.6 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रतौना, सागर

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत भारत सरकार की 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता से गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। देश के 13 राज्यों में कुल 20 गोकुल ग्राम स्वीकृत किये गये है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य में रतौना जिला सागर का चयन किया गया है। गौकुल ग्राम का उद्देश्य संरक्षण एडं भारतीय गौवंशीय नस्लों

का सुधार है। जिस हेतु कियान्वयन एजेन्सी को 500 एकड़ भूमि स्थानांतरित की गई है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को सफल बनाने में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका है।

7.1.7 कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान, रतौना सागर

बुंदेलखंड फेस–2 के तहत भारत सरकार की 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता से रतौना जिला सागर में कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। संस्थान की स्थापना हो जाने से यहां कृषक एवं पशुपालकों को प्रशिक्षण, गौसेवकों को प्रशिक्षण एवं मैत्री का प्रशिक्षण संपादित किया जावेगा। यह बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रथम संस्थान है।

7.1.8 कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण, बुल मदर फार्म, भदभदा, भोपाल

बुल मदर फार्म स्थित कृत्रिम गृर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान को दिनांक 23.01.2020 से 3 वर्षो के लिये भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्रदान की गई है।

7.1.9 सेक्सड सॉरटेड सीमन उत्पादन के लिये प्रयोगशाला की स्थापना

भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत दिनांक 22 जनवरी 2019 को केन्द्रीय वीर्य संस्थान, भदभदा भोपाल पर सेक्सड सॉरटेड सीमन उत्पादन की सुविधा विकसित करने हेतु राशि रू. 47.50 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। योजना का उद्देश्य मादा पशुओं की संख्या बढाने के लिए केवल मादा सीमन किसानों को उपलब्ध कराना है। इन प्रयोगशाला की स्थापना से देशी गाय की गिर, साहीवाल, थारपारकर एंव भैंस की मुर्रा आदि नस्लों का Sex Sorted Semen उत्पादन किया जायेगा। मादा वत्स के उत्पादन के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादन में वृद्वि होगी तथा नर वत्स की उत्पत्ति को सीमित किया जा सकेगा।

7.1.10 सीमन स्टेशन, नौनेर, दतिया

बुंदेलखण्ड विशेष पैंकेज के अन्तर्गत नौनेर,दतिया में सीमन स्टेशन का लोकार्पण दिनांक 23.01.2021 को किया गया है। म.प्र की पशु प्रजनन नीति अनुसार पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम हेतु गौवंशीय एवं भैसवंशीय नस्लों का हिमीकृत वीर्य उत्पादन किया जाएगा।

7.2 एम. पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड

वर्ष 1980 में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में समन्वित डेयरी विकास की गतिविधियां संचालित करने के लिए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित (वर्तमान में एम.पी.स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि.) की स्थापना की गई। इसी के साथ आणंद प्रणाली पर त्रि–स्तरीय सहकारी संस्थाओं का गठन प्रारम्भ हुआ। इसके अन्तर्गत प्रथम स्तर पर ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियां, द्वितीय स्तर पर सहकारी दुग्ध संघ एवं राज्य स्तर पर एम.पी.स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (एमपीसीडीएफ) कार्यरत हैं।

7.2.1 त्रिस्तरीय सहकारी डेयरी संरचना निम्नानुसार है–

त्रिस्तरीय सहकारी डेयरी संरचना

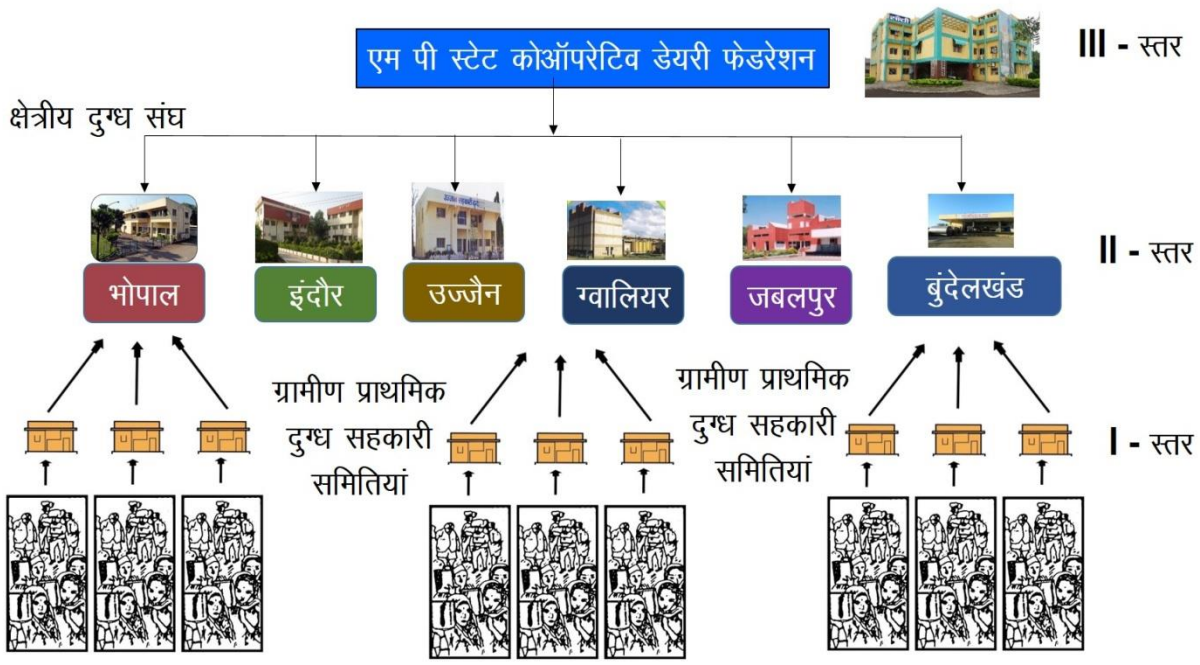

7.2.2 दुग्ध संघवार जिलों का वर्गीकरण निम्नानुसार है :

क.	दुग्ध संघ	कुल जिले	सम्मिलित जिले
1	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ	पूर्ण–10 आंशिक–02	भोपाल, सीहोर, विदिशा, राजगढ, रायसेन, गुना, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, अशोकनगर, एवं जिला शाजापुर (शुजालपुर, कालापीपल तहसील) का कुछ क्षेत्र
2	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ	पूर्ण–09 आंशिक–02	इन्दौर, देवास, खरगौन, धार, बडवानी, झाबुआ, अलीराजपुर, खण्डवा, बुरहानपुर, उज्जैन (उज्जैन तहसील का कुछ क्षेत्र)
3	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ	पूर्ण–06 आंशिक–03	उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगर मालवा, धार (बदनावर तहसील) व देवास का कुछ क्षेत्र
4	जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ	पूर्ण–15	जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, रींवा, सतना, मण्डला, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाडा, शहडोल, उमरिया, अनुपपुर, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट
5	ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ	पूर्ण–06	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया
6	बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ, सागर	पूर्ण–06	सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी
कुल जिले		52	

तालिका 7.2

सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत पॉच वर्षों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि

क.	विवरण	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)
1	गठित दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	9437	9463	9151	10090	10076
2	कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	6612	6737	6498	7811	6982
3	कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्य संख्या	256150	264653	257418	268087	249464
4	दुग्ध संकलन किलोग्राम/प्रतिदिन	889611	1102657	1010888	858527	875527
5	स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर प्रतिदिन)	741032	766195	740271	747751	632349

6	पशु आहार विक्रय (मेट्रिक टन)	110541	98021	104310	102674	60010
7	कृत्रिम गर्भाधान (संख्या)	556633	622604	601450	600174	397034
8	दुग्ध उत्पादकों को भुगतान (राशि ` करोड़ में)	954.94	1288.81	1100.30	1294.44	773.20
9	विक्रय प्राप्तियां (राशि ` करोड़ में)	1718.64	1689.64	1905.17	1884.23	1237.50

7.3 मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड

7.3.1 बोर्ड की संरचना

मध्यप्रदेश शासन पशुपालन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को दिंनाक 08–10–2004 से राज्य में प्रभावशील घोषित किया गया है। बोर्ड के कृत्यो के संचालन हेतु राज्य स्तर पर एक कार्यपरिषद तथा जिला स्तर पर जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समितियों का गठन किया गया है। राज्य गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, उपाध्यक्ष माननीय मंत्री पशुपालन, सदस्य कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव वन, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विकास, प्रमुख सचिव पशुपालन, संचालक पशुपालन, प्रबन्ध संचालक ऊर्जा विकास निगम, संचालक कृषि, प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, प्रबन्ध संचालक राज्य कृषि कल्याण विपणन बोर्ड हैं। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य निम्नानुसार होते हैं:

(अ) राज्य शासन द्वारा नामांकित एक अशासकीय व्यक्ति जो बोर्ड का ''दूसरा'' उपाध्यक्ष होगा।

(ब) गौपालन एवं पशुधन संवर्धन में रूचि रखने वाले 7 अशासकीय सदस्य जिसमें कम से कम दो पंजीकृत गौशाला के संचालक होना अनिवार्य है।

7.3.2 जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति

जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति, अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्– कलेक्टर अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक सदस्य, उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं पदेन सचिव, उप संचालक कृषि कल्याण सदस्य, प्रबंधक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम सदस्य, आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी सदस्य, जिला पंचायत के कृषि समिति का अध्यक्ष सदस्य, सचिव, कृषि उपज मंडी (जिला मुख्यालय का) सदस्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सदस्य है। अशासकीय सदस्य निम्नानुसार होते हैं:

(अ) चार अशासकीय सदस्य, जिसमें से दो का नामांकन राज्य गौपालन एवम् पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा एवम् दो का नामांकन जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिले के विधायकों में से एक विधायक प्रभारी मंत्री द्वारा मनोनीत किया जाएगा। जिले के विधायकों का कार्यकाल बारी–बारी से एक वर्ष का होगा।

(ब) जिला कलेक्टर, जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति का पदेन अध्यक्ष होगा अशासकीय सदस्यों में से एक सदस्य उपाध्यक्ष होगा, जिसका मनोनयन राज्य बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(स) संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति का पदेन सचिव होगा।

7.3.3 नवीन गौशालाओं का पंजीयन

गौशालाओं के नवीन पंजीयन हेतु आवेदन जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के माध्यम से प्राप्त होने पर बोर्ड के सदस्यों तथा पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के भौतिक सत्यापन पश्चात् मापदंड अनुरुप पाए जाने पर पंजीयन की कार्यवाही की जाती है।

7.3.4 मुख्यमंत्री गौसेवा योजना अन्तर्गत निर्मित गौशालाओं की जानकारी

प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा योजना एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण से चयनित ग्राम पंचायतों में 1000 गौशालाओं का निर्माण कराया गया है जिनका संचालन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक गौशाला में 100 गौवंश रखा जा सकेगा जिसमें 1 लाख निराश्रित गौवंश को आश्रय मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गौशाला के साथ 5 एकड़ का चारागाह निर्मित किया जाएगा जिससे प्रदेश में 5000 एकड़ नवीन चारागाह निर्मित होंगे। गौशालाओं में उपलब्ध गौवंश के चारे भूसे हेतु राशि की व्यवस्था पशुपालन विभाग द्वारा की जाएगी। ग्राम पंचायत यदि गौशाला का संचालन किसी संस्था के माध्यम से कराना चाहे, तो वह आजीविका मिशन की महिला स्वसहायता समूह व स्वयंसेवी संस्था से अनुबंध कर सकती है।

वर्ष 2019–20 में मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड द्वारा गौशालाओं को वितरित अनुदान

चारे भूसे हेतु वर्ष 2019–20 में जारी राशि का विवरण–

क्रं	विवरण	गौशालाओं की संख्या	प्रदाय राशि (` करोड़ में)
1	पूर्व से संचालित गौशालाओं हेतु	627	59.78
2	मनरेगा अन्तर्गत निर्माणाधीन गौशालाओं हेतु	974	11.69
	योग	**1601**	**71.47**

7.3.5 गौ–अभयारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र सालरिया सुसनेर, जिला आगर

गौ–अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र गाम सालरिया, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा में 472.63 हैक्टेयर में स्थापित किया गया है जिसमें,

- निराश्रित, दान में पुलिस अभिरक्षा में प्राप्त गौवंश के आवास तथा भरपूर आहार की सुनिश्तिता, उनके निर्भय व स्वतन्त्र विचरण के लिए, प्राकृतिक और स्वाभाविक वातावरण का निर्माण किया गया है।
- गौवंश को कृषि, ग्रामोद्योग, पर्यावरण व अर्थ से जोड़ने हेतु पंचगव्य के एकत्रीकरण, प्रबन्धन व विपणन का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
- भारतीय नस्लों के संरक्षण, चारागाह विकास, जैविक, बैल व नन्दी का वितरण इत्यादि कार्य किया जाएगा।

7.3.6 गौशालाओं में गोबर से लकड़ी एवं गमले बनाने की मशीनों हेतु आर्थिक सहायता

गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने एवं उनमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश की 108 गौशालाओं को गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन तथा 100 गौशालाओं को गोबर से गमले बनाने के लिए आर्थिक सहायता जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई।

7.3.7 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में संशोधन

- गौवंश वध पर पूर्ण प्रतिबंध है।
- गौवंश वध अथवा गौवंश अवैध परिवहन के मामले में अपराध सिद्ध होने पर अधिकतम कारावास का सीमा बढ़ाकर 7 वर्ष की गई है।
- अधिनियम के तहद् पकड़े जाने पर सबूत का भार अभियुक्त पर होगा।
- गौवंश अवैध परिवहन के मामले में उपयोग किए गए वाहन को जप्त किया जा सकता है।

7.3.8 प्रदेश स्तर पर गौशालाओं की स्थिति

तालिका 7.3

प्रदेश स्तर पर गौशालाओं की जानकारी

कंमाक	विवरण	संख्या
1.	अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा पंजीकृत संचालित क्रियाशील गौशालाओं की संख्या	627
2.	मुख्यमंत्री गौसेवा योजना अन्तर्गत (मनरेगा) संचालित गौशालाओं की संख्या	905
3.	मध्यप्रदेश में अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं एवं मुख्यमंत्री गौसेवा योजना अन्तर्गत (मनरेगा) कुल संचालित क्रियाशील गौशालाओं की संख्या	1532
4.	मुख्यमंत्री गौसेवा योजनान्तर्गत (मनरेगा) पूर्ण गौशालाओं की संख्या	963
5.	वर्मी पिट (गौशालाओं की संख्या)	160
6.	गोबर गैस प्लान्ट (गौशालाओं की संख्या)	109
7.	नापेड (गौशालाओ की संख्या)	234
8.	गोबर से लकड़ी बनाने का कार्य करने वाली गौशालाओं की संख्या	105
9.	जैविक खाद निर्माण करने वाली गौशालाओं की संख्या	235
10.	गौमूत्र औषधि निर्माण गौशालाओं की संख्या	45

7.4 पशु रोगी कल्याण समिति

राज्य के सभी जिलों में पशु कल्याण समितियों का गठन निम्नांकित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया हैः–

(i) क्षेत्र के पशुओं के उपचार की व्यवस्था करना।

(ii) पशुपालन की सुविधा उपलब्ध कराना।

(iii) अर्न्तवासी रोगी पशुपालकों को चिकित्सालय में ठहरने की व्यवस्था करना।

(iv) पशु चिकित्सा भवनों में सुधार करना।

(v) राज्य गौ संवर्धन बोर्ड की अनुमति से अनुदान प्राप्त गौशालाओं की देखभाल/पर्यवेक्षण करना।

(vi) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का पालन करना।

(vii) पशु पक्षियों के कल्याण के कार्यक्रमों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(viii) पालतू जानवरों का टीकाकरण तथा उपचार करना।

(ix) रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम का प्रचार एवं सहयोग करना।

(x) पशु चिकित्सा एवं उन्नत प्रजनन से संबंधित अन्य कार्य।

जिला पशु कल्याण समितियों में कलेक्टर कार्यकारी अध्यक्ष,उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें सदस्य व पदेन सचिव एवं जिला स्तर के पशु चिकित्सालय का प्रभारी पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ सदस्य उप सचिव सहित 11 सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त समिति में जिले के निर्वाचित दो विधायक भी सदस्य होते हैं।

7.5 पशु क्रूरता निवारण समितिः–

प्रदेश के 51 जिलों में पशु क्रूरता निवारण समिति का गठन किया गया है। जिले में पशु क्रूरता निवारण से संबंधित कार्य समिति के द्वारा किया जाता है।

7.6 मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा परिषद्

मध्यप्रदेश राज्य में पशु चिकित्सा परिषद् की स्थापना भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 के अन्तर्गत की गई। राज्य पशु चिकित्सा परिषद का उददेश्य पशु चिकित्सा स्नातकों का पंजीकरण करना तथा पशु चिकित्सा सेवाओं का नियमन करना है।

7.6.1 मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में निम्नानुसार सदस्य होते हैं–

मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम 1993 के अन्तर्गत नियम 7 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् का गठन किया जाता है। मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् की संरचना निम्नानुसार होती है :–

क्र	सदस्यों का प्रकार	सदस्यों की संख्या	चयन का प्रकार
1	म.प्र. राज्य पशु चिकित्सा परिषद के आई.व्ही. पी.आर. में दर्ज पशु चिकित्सकों में से	04	निर्वाचन
2	राज्य शासन द्वारा नामांकित	03	नामांकित
3	राज्य पशु चिकित्सक संघ द्वारा नामांकित	01	नामांकित
4	पशु चिकित्सक संस्थानों के प्रमुख	02	पदेन
5	संचालक पशुपालन मध्यप्रदेश	01	पदेन
6	रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य पशु चिकित्सा परिषद	01	पदेन

7.6.2 मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में वर्तमान में 2329 वैध पशु चिकित्सक पंजीकृत हैं।

भाग–आठ

परिशिष्ट–एक

मध्यप्रदेश में 19वीं पंचवर्षीय पशु संगणना 2012 के जिलेवार पशुधन के ऑकड़े :–

क्रं0	जिला	गौवंशीय पशु			भैंसवंशीय पशु	भेड़ा–भेंड़ी	बकरा–बकरी	सूकर	घोड़े–घोड़ी	खच्चर	गधे	ऊँट	कुल पशुधन	कुल कुक्कुट
		संकर नस्ल	देशी नस्ल	**योग**										
1	अलीराजपुर	431	440049	440480	57493	1940	310263	146	26	0	381	0	**810729**	**665104**
2	अनुपपुर	7572	339929	347501	62058	185	64172	3010	1098	0	35	12	**478071**	**98572**
3	अशोकनगर	11382	230187	241569	120889	2658	86420	965	114	0	63	0	**452678**	**22901**
4	बालाघाट	10871	565912	576783	141034	3	225972	5386	748	399	9	9	**950343**	**248804**
5	बड़वानी	599	399640	400239	110663	2661	306715	796	55	0	715	0	**821844**	**703619**
6	बैतूल	22908	503145	526053	120395	1703	145214	1052	405	182	229	1	**795234**	**183493**
7	भिण्ड	7530	102030	109560	219145	5808	95660	5146	264	49	332	5	**435969**	**9234**
8	भोपाल	20658	89434	110092	83655	65	39155	945	66	0	181	0	**234159**	**990653**
9	बुरहानपुर	2125	129372	131497	36211	49251	77342	531	1755	0	506	0	**297093**	**104865**
10	छतरपुर	3095	340818	343913	239206	4553	254774	6761	257	358	138	0	**849960**	**80794**
11	छिंदवाड़ा	23080	675987	699067	136696	56	273070	1799	1032	29	239	0	**1111988**	**361116**
12	दमोह	4868	553977	558845	106723	3627	121823	5418	246	0	50	0	**796732**	**45833**
13	दतिया	630	106555	107185	150324	3858	99841	2082	127	109	357	0	**363883**	**15046**
14	देवास	30259	314631	344890	236555	668	165742	740	84	25	177	1	**748882**	**147955**
15	धार	58107	565306	623413	200419	2165	435624	530	2040	2050	386	3	**1266630**	**643012**
16	डिंडोरी	506	375053	375559	43204	73	65329	5212	916	1	353	87	**490734**	**136170**
17	खण्डवा	1510	344854	346364	121184	169	130576	1137	672	837	83	0	**601022**	**76441**
18	गुना	14824	352976	367800	222426	706	129993	3415	94	18	615	52	**725119**	**46725**
19	ग्वालियर	5723	182221	187944	226089	15211	164062	2407	107	45	466	164	**596495**	**49930**
20	हरदा	2469	139240	141709	72850	1416	45989	208	45	2	8	0	**262227**	**27717**
21	होशंगाबाद	20369	319633	340002	112526	61	80059	2396	254	5	284	2	**535589**	**159154**
22	इन्दौर	81455	96129	177584	155290	629	96272	4	715	776	81	0	**431351**	**141223**
23	जबलपुर	27922	337423	365345	95324	1170	104280	4832	118	1	20	0	**571090**	**3401896**
24	झाबुआ	17409	391764	409173	102807	3024	266435	0	39	1	253	0	**781732**	**468308**
25	कटनी	3497	431864	435361	51866	1522	92760	3409	59	18	10	5	**585010**	**18252**
26	मंडला	7603	386045	393648	54641	132	77995	3842	274	447	39	0	**531018**	**122671**
27	मंदसौर	51231	245841	297072	224443	10181	182244	4267	927	13	584	1280	**721011**	**33308**

28	मुरैना	12715	129199	141914	623861	14758	164010	8618	461	232	2295	237	**956386**	**49539**
29	नरसिंहपुर	38080	283033	321113	127230	744	106612	2825	256	20	555	1	**559356**	**53835**
30	नीमच	21422	226366	247788	138044	8930	145131	1258	425	0	176	590	**542342**	**28843**
31	पन्ना	1408	413407	414815	141895	4011	125289	6477	353	236	327	0	**693403**	**53448**
32	रायसेन	12936	417270	430206	118116	850	90778	1010	277	4	322	1	**641564**	**101297**
33	राजगढ़	13223	478634	491857	510774	857	188593	2719	188	18	643	19	**1195668**	**53531**
34	रतलाम	30443	292175	322618	172635	3245	200927	1384	792	502	194	8	**702305**	**208028**
35	रींवा	41391	872814	914205	170806	24120	198629	15103	145	73	81	0	**1323162**	**65982**
36	सागर	8073	794747	802820	213711	1327	140628	5837	450	39	45	5	**1164862**	**102375**
37	सतना	23956	829593	853549	196178	15178	252606	9412	288	128	122	0	**1327461**	**60120**
38	सीहोर	51522	205100	256622	133069	175	67971	686	54	9	91	2	**458679**	**48077**
39	सिवनी	21376	491310	512686	124943	45	172503	3709	145	3	20	0	**814054**	**363750**
40	शहडोल	6131	500752	506883	86900	5842	104921	5062	249	33	23	0	**709913**	**158809**
41	शाजापुर	29690	306744	336434	292145	321	199970	3299	244	2	499	438	**833352**	**194857**
42	श्योपुर	560	244573	245133	144961	7261	123704	3314	55	1	640	132	**525201**	**29146**
43	शिवपुरी	16691	527805	544496	370247	47405	304748	9080	178	7	412	3	**1276576**	**136059**
44	सींधी	14314	433067	447381	94039	8803	190999	12776	35	42	23	0	**754098**	**280298**
45	सिंगरौली	2850	542021	544871	80167	7306	231458	3119	3	0	0	0	**866924**	**203665**
46	टीकमगढ़	6407	360563	366970	232231	38850	223571	5995	385	13	180	0	**868195**	**180077**
47	उज्जैन	33558	238866	272424	309821	724	205774	2248	614	49	761	356	**792771**	**143792**
48	उमरिया	974	337852	338826	46335	2877	68981	1000	26	0	10	0	**458055**	**63770**
49	विदिशा	13026	351331	364357	152480	511	80598	2411	353	213	518	0	**601441**	**28053**
50	खरगौन	1598	524152	525750	203285	1318	287754	1475	290	0	385	9	**1020266**	**294569**
योग		**840977**	**18761389**	**19602366**	**8187989**	**308953**	**8013936**	**175253**	**18803**	**6989**	**14916**	**3422**	**36332627**	**11904716**

परिशिष्ट–दो

20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार पशुधन ऑकड़ों में देश की तुलना में म0प्र0 की हिस्सेदारी

क्रं0	विवरण	भारत	मध्यप्रदेश	भारत की तुलना में म0प्र0 का प्रतिशत
1.	गौवंशीय			
(अ)	संकर नस्ल पशु	51356405	1694975	**3.30**
(ब)	देशी नस्ल पशु	142106466	17055853	**12.00**
	कुल गौवंशीय पशु	**193462871**	**18750828**	**9.69**
2.	भैंस वंशीय पशु	109851678	10307131	**9.38**
3.	भेड़ा–भेंड़ी	74260615	324585	**0**
4.	बकरा–बकरी	148884786	11064524	**7.43**
5.	सूकर	9055488	164616	**1.82**
6.	घोड़े–टट्टू	342226	13260	**3.87**
8.	खच्चर	84261	2543	**3.02**
9.	गधे	123587	8135	**6.58**
10.	ऊँट	251956	1753	**0.70**
	कुल पशुधन	**536761343**	**40637375**	**7.57**
11.	कुल कुक्कुट	851809931	16659898	**1.96**

'स्त्रोतः भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पुस्तिका अनुसार

परिशिष्ठ–तीन

देश में राज्यों के पशु उत्पाद अनुमानित दूध,अण्डा, ऊन एवं मांस उत्पादन (वर्ष 2018–19) की स्थिति

क्रं0	प्रदेश	दूध उत्पादन (000मे.टन में)	अण्डा उत्पादन (लाख में)	मांस उत्पादन (000में.टन में)	ऊन उत्पादन (000कि.ग्रामें)
1	आन्ध्र प्रदेश	15044.37	197545.20	780.61	797.12
2	तेलंगाना	5416.13	136868.43	754.06	4263.51
3	बिहार	9818.10	12771.01	364.85	312.38
4	छत्तीसगढ़	1566.88	18927.41	60.88	81.95
5	गोवा	57.17	327.42	7.92	0.00
6	गुजरात	14492.77	18543.80	33.33	2270.51
7	हरियाणा	10726.09	60576.96	511.99	718.50
8	हिमांचल प्रदेश	1460.15	1007.00	4.60	1503.14
9	जम्मू एवं कश्मीर	2540.11	2348.84	91.61	7629.28
10	झारखण्ड	2183.05	6378.56	62.39	198.59
11	कर्नाटक	7900.63	59994.19	253.60	3057.92
12	केरल	2548.28	22905.99	457.41	0.00
13	मध्यप्रदेश	15911.13	21431.92	97.37	410.17
14	महाराष्ट्र	11655.46	59648.73	1020.60	1456.93
15	उड़ीसा	2311.07	23452.68	201.82	0.00
16	पंजाब	12598.82	55908.73	231.32	524.85
17	राजस्थान	23668.07	16615.63	191.66	14521.84
18	तमिलनाडु	8361.68	188422.24	633.80	2.28
19	उत्तर प्रदेश	30518.91	26050.01	1227.09	1315.97
20	उत्तराखण्ड	1792.37	4531.83	29.18	551.98
21	पश्चिम बंगाल	5606.82	85998.78	831.28	760.43
22	अरुणाचल प्रदेश	55.10	594.64	21.87	42.63
23	असम	882.27	5014.61	50.40	0.00
24	मणिपुर	85.75	1053.24	28.05	0.00
25	मेघालय	86.61	1090.36	45.25	0.00
26	मिजोरम	25.75	415.19	16.11	0.00
27	नागालैण्ड	72.57	374.74	32.28	0.00
28	सिक्किम	60.85	54.56	3.72	0.00
29	त्रिपुरा	185.27	2759.56	47.82	0.00
30	अण्डमान निकोवार	18.15	1139.17	5.43	0.00
31	चण्डीगढ़	45.23	164.26	0.95	0.00
32	दादर व नगरहवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दमन एण्ड ड्यू	1.01	5.09	0.18	0.00
34	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
35	लक्ष्यद्वीप	3.66	141.78	0.42	0.00
36	पुडूचेरी	49.20	113.73	14.63	0.00
योग		**187749.46**	**1033176.31**	**8114.45**	**40420.00**

भारत सरकार कृषि मंत्रालय, सांख्यिकी अनुभाग

जिलेवार अनुमानित दूध,अण्डा, ऊन एवं मांस उत्पादन की जानकारी (वर्ष 2019–20)

क्रं	जिले का नाम	दूध उत्पादन (000 मे.टन में)	अण्डा उत्पादन (लाख में)	मांस उत्पादन (000मेंटन में)	ऊन उत्पादन (000किग्रा में)
1	जबलपुर	469.67	7486.89	11.25	0.47
2	कटनी	221.68	48.69	2.04	0.72
3	मण्डला	129.07	188.72	0.86	0.06
4	डिन्डोरी	90.68	150.77	0.67	0.00
5	नरसिंहपुर	210.40	35.93	1.01	0.00
6	छिन्दवाडा	280.31	671.63	2.49	0.00
7	बालाघाट	210.03	394.01	1.19	0.00
8	सिवनी	214.62	272.43	2.72	0.00
9	सागर	487.08	386.55	2.37	1.10
10	दमोह	286.99	112.41	1.09	5.34
11	पन्ना	275.59	50.87	0.86	6.19
12	टीकमगढ	471.68	131.57	2.55	64.76
13	छतरपुर	455.04	85.96	1.04	2.25
14	रीवा	524.48	62.91	1.79	8.80
15	सीधी	213.61	209.37	1.32	8.76
16	सिंगरोली	253.14	252.06	1.17	9.80
17	सतना	495.94	98.07	1.44	21.84
18	शहडोल	161.36	169.49	0.80	8.98
19	अनुपपुर	88.33	87.24	0.87	0.06
20	उमरिया	105.84	69.11	0.63	2.92
21	इंदौर	661.40	2184.80	9.15	0.00
22	धार	445.39	572.28	1.55	1.97
23	झाबुआ	164.32	594.34	0.72	4.49
24	अलीराजपुर	127.60	450.26	0.73	1.48
25	खरगोन	368.15	454.08	1.53	0.55
26	बडवानी	219.51	652.71	1.26	1.41
27	खण्डवा	259.45	108.69	2.30	0.07
28	बुरहानपुर	76.89	83.90	1.11	75.06
29	उज्जैन	747.32	147.95	1.56	0.25
30	मन्दसौर	490.53	67.32	1.04	16.29
31	नीमच	257.93	26.69	0.79	12.67
32	रतलाम	325.88	154.01	2.83	2.76

33	देवास	539.35	250.39	5.98	0.11
34	शाजापुर	490.32	684.53	2.67	0.00
35	ग्वालियर	500.47	152.26	1.13	23.86
36	मुरेना	791.53	40.22	0.95	21.62
37	श्योपुर	315.38	31.03	0.58	10.79
38	भिण्ड	466.87	22.67	0.71	7.53
39	शिवपुरी	628.78	119.14	1.32	76.43
40	गुना	347.19	73.99	0.95	0.00
41	अशोकनगर	207.94	31.52	0.63	3.91
42	दतिया	308.40	20.42	0.65	5.62
43	भोपाल	323.90	4466.20	13.74	0.04
44	सीहोर	505.76	148.77	2.45	0.08
45	रायसेन	287.46	157.46	2.47	0.39
46	विदिशा	374.53	62.49	3.66	0.26
47	बैतूल	328.85	313.20	1.12	1.43
48	राजगढ	487.06	615.94	3.40	0.69
49	होशंगाबाद	279.83	79.84	0.80	0.05
50	हरदा	135.43	62.07	0.55	0.00
	योग	**17108.97**	**23793.83**	**106.50**	**411.85**

प्रजनन योग्य गौ–भैंस की जानकारी

20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार प्रजनन योग्य मादाओं की जानकारी						
क्रं	जिला	संकर गाय	देशी गाय	योग	भैंस वंश	कुल प्रजनन योग्य गौ–भैंस वंश
1	AGAR MALWA	487	81660	**82147**	84199	**166346**
2	ALIRAJPUR	150	72149	**72299**	37153	**109452**
3	ANUPPUR	11662	97434	**109096**	20418	**129514**
4	ASHOKNAGAR	3852	121805	**125657**	76722	**202379**
5	BALAGHAT	9812	168488	**178300**	71596	**249896**
6	BARWANI	471	114621	**115092**	78265	**193357**
7	BETUL	31284	161793	**193077**	84882	**277959**
8	BHIND	15421	70733	**86154**	207652	**293806**
9	BHOPAL	25332	67630	**92962**	61587	**154549**
10	BURHANPUR	1480	43545	**45025**	28660	**73685**
11	CHHATARPUR	4867	134691	**139558**	211368	**350926**
12	CHHINDWARA	27376	214618	**241994**	82115	**324109**
13	DAMOH	4243	231578	**235821**	71678	**307499**
14	DATIA	6620	56905	**63525**	147536	**211061**
15	DEWAS	31067	171862	**202929**	132476	**335405**
16	DHAR	34286	226429	**260715**	146217	**406932**
17	DINDORI	742	85742	**86484**	22863	**109347**
18	EAST NIMAR	1030	111248	**112278**	84697	**196975**
19	GUNA	6930	164926	**171856**	148856	**320712**
20	GWALIOR	7623	76941	**84564**	144902	**229466**
21	HARDA	5256	67248	**72504**	42049	**114553**
22	HOSHANGABAD	19092	154735	**173827**	56505	**230332**
23	INDORE	95115	131893	**227008**	102881	**329889**
24	JABALPUR	26454	127624	**154078**	57378	**211456**
25	JHABUA	16994	124132	**141126**	68619	**209745**
26	KATNI	2999	140890	**143889**	46198	**190087**
27	KHARGONE	1778	187162	**188940**	159551	**348491**
28	MANDLA	5882	118474	**124356**	27138	**151494**
29	Mandsaur	36643	129264	**165907**	130862	**296769**
30	MORENA	16013	56576	**72589**	336624	**409213**
31	NARSINGHPUR	16804	115653	**132457**	57534	**189991**
32	NEEMUCH	21435	112433	**133868**	87736	**221604**
33	PANNA	1303	145258	**146561**	96586	**243147**
34	RAISEN	63447	212988	**276435**	65175	**341610**
35	RAJGARH	8968	125749	**134717**	244688	**379405**
36	RATLAM	29439	137942	**167381**	100467	**267848**

37	REWA	33827	301032	**334859**	124769	**459628**
38	SAGAR	12869	369737	**382606**	121151	**503757**
39	SATNA	19826	273075	**292901**	119548	**412449**
40	SEHORE	72121	180029	**252150**	142502	**394652**
41	SEONI	18588	130298	**148886**	50914	**199800**
42	SHAHDOL	7515	134792	**142307**	41398	**183705**
43	SHAJAPUR	22677	82941	**105618**	112313	**217931**
44	SHEOPUR	1651	124872	**126523**	101108	**227631**
45	SHIVPURI	3897	161296	**165193**	208706	**373899**
46	SIDHI	18166	169420	**187586**	53365	**240951**
47	SINGRAULI	2843	143283	**146126**	39381	**185507**
48	TIKAMGARH	7691	137611	**145302**	162043	**307345**
49	UJJAIN	40248	138648	**178896**	193862	**372758**
50	UMARIA	2287	99449	**101736**	24284	**126020**
51	VIDISHA	4880	169268	**174148**	87288	**261436**
Total		**861443**	**7178570**	**8040013**	**5206465**	**13246478**

परिशिष्ठ–छः

मध्यप्रदेश में 19वीं पशु संगणना 2012 के अनुसार प्रति संस्थावार पशुधन की स्थिति (माह दिसम्बर 2020 की स्थिति में)

क्रं	जिला	पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	कुल संस्थाएं	पशु संख्या 2012	प्रति संस्था पशु संख्या
1	भोपाल	15	7	22	234159	10644
2	सीहोर	19	25	44	458679	10425
3	रायसेन	16	33	49	641564	13093
4	राजगढ़	20	40	60	1195668	19928
5	विदिशा	14	39	53	601441	11348
6	बैतूल	27	54	81	795234	9818
7	होशंगाबाद	16	33	49	535589	10930
8	हरदा	8	13	21	262227	12487
9	इन्दौर	18	24	42	431351	10270
10	धार	30	52	82	1266630	15447
11	झाबुआ	14	25	39	781732	20044
12	अलीराजपुर	13	19	32	810729	25335
13	खरगौन	38	34	72	1020266	14170
14	बड़वानी	25	23	48	821844	17122
15	खण्डवा	21	21	42	601022	14310
16	बुरहानपुर	8	15	23	297093	12917
17	उज्जैन	26	21	47	792771	16867
18	देवास	20	25	45	748882	16642
19	शाजापुर	17	17	34	833352	24510
20	रतलाम	21	38	59	702305	11903
21	मंदसौर	24	17	41	721011	17586
22	नीमच	17	16	33	542342	16435
23	ग्वालियर	22	20	42	596495	14202
24	शिवपुरी	29	47	76	1276576	16797
25	दतिया	12	25	37	363883	9835
26	मुरैना	24	23	47	956386	20349
27	श्योपुरकला	11	22	33	525201	15915
28	भिण्ड	21	28	49	435969	8897
29	गुना	15	41	56	725119	12949
30	अशोकनगर	11	24	35	452678	12934
31	सागर	41	42	83	1164862	14034
32	दमोह	29	23	52	796732	15322

क्रं	जिला	पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	कुल संस्थाएं	पशु संख्या 2012	प्रति संस्था पशु संख्या
33	छतरपुर	34	39	73	849960	11643
34	टीकमगढ़	26	42	68	868195	12958
35	पन्ना	26	32	58	693403	11955
36	जबलपुर	31	28	59	571090	9679
37	कटनी	13	29	42	585010	14269
38	नरसिंहपुर	14	33	47	559356	11901
39	सिवनी	18	53	71	814054	11629
40	छिंदवाड़ा	26	74	100	1111988	11120
41	बालाघाट	27	48	75	950343	12671
42	मण्डला	25	31	56	531018	9482
43	डिण्डोरी	12	23	35	490734	14021
44	रींवा	41	56	97	1323162	13502
45	सतना	28	61	89	1327461	15915
46	सींधी	24	41	65	754098	11602
47	सिंगरौली	15	21	36	866924	24081
48	शहडोल	23	35	58	709913	12240
49	उमरिया	13	16	29	458055	15795
50	अनुपपुर	15	26	41	478071	11660
51	आगर	10	9	19		
	योग	**1063**	**1583**	**2646**	**36332627**	**13721**